www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 08 | गोरखपुर, 18 अगस्त 2024 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

डिजिटल युग में युवाओं के विकास की चुनौतियां

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में युवाओं के सामने पेश होने वाली तमाम तरह की परेशानियों और मुद्दों को सुनना- समझाना और उजागर करना है। युवा दिवस की इस वर्ष की थीम डिजिटल माध्यमों से युवाओं के विकास रखी गई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। दुनिया भर में 10 से 24 वर्ष की आयु वाले करीब 180 करोड़ युवा लोग है विश्व में युवाओं की जनसंख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसम्बर 1999 को यह फैसला लिया कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व गुजा दिवस मनाया जानेगा। इसका उद्देश्य इस संदेश को बढ़ाना है कि एजेंडा 2030 और इसके 17 एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सभी पीढ़ियों से कार्रवाई की आवश्यकता है और किसी को भी पीछे नहीं छेड़ना है।

यह डिजिटल विकास का जमाना है। डिजिटल विकास ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदलकर रख दी है। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है लेकिन साथ ही नई नीतियां भी लाई हैं। खासकर युवा आबादी के लिए डिजिटल युग अपने आप में अवसरों और चुनौतियों से भरा हुआ है। डिजिटल युग ने देश और दुनिया में युवाओं को रोजगार के असंख्य अवसर दिए है। विशेषकर सूचना तकनीकि आर्टिफिशियल बीमा, फूड प्रोसेसिंग, कृषि पैदावार, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में रोजगार के विपुल साधन उपलब्ध है और लाखों युवाओं को इस माध्यम से रोजगार मिला है। जहाँ तक हमारे देश की बात है आज लाखों युवा

डिजिटल रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने कौशल विकास व डिजिटल स्किल्स विकास में सबसे अधिक निवेश करके रोजगार निर्माण की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिना है। इसी के टष्टिगत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के माध्यम से देश के युवाओं को निर्धारित किए गए, तकनीक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कौशल और प्रशिक्षण से सुसज्जित करके रोजगार की डगर पर आगे बढ़ाना होगा। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार स्किल इंडिना डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर इस वर्ष जून में करीब 88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं, 9.59 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और 7.63 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स में पंजीकरण कराया है। विश्व प्रसिद्ध मैकिजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक वैश्विक रोजगार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025 तक ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते करीब उस से साढ़े छ करोड़ रोजगार अवसर पैदा हो सकते हैं।

युवा नेतृत्व को लेकर आज देशभर में व्यापक बहस छिड़ी है। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। बुबा आवादी हो देश की तरक्की को रफ्तार प्रदान कर सकती है। भारत विश्व में सब से अधिक युवा आबादी वाला देश है। हमारे यहां 135 करोड़ की जनसंख्या में 65 प्रतिशत युवा हैं। लेकिन देश के सियासी नेतृत्व की बागडोर 60 साल से ऊपर के नेताओं के हाथों में है। युवाओं की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने से ही समाज में बदलाव आएगा। युवा भी खुद को वाकत को पहचाने और उसी के अनुरूप अपना रास्ता चुनें युवा अपनी काबिलियत और नई सोच के बूते पर रोजगार सृजनकर्ता बन सकते हैं। युवा नई बुनियाद रखकर सामाजिक बदलाव के प्रणेता बन सकते हैं। विश्व के कई अन्य देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या की औसत आयु 29 वर्ष है। भारत दुनिया के युवा जनसख्यिकीच के पांचवें हिस्से का घर है।

हथियार के सौदागरों ने बांग्लादेश में वर्चस्व कायम कर लिया

दुस्साहस की कहानियां अब साहस के किस्सों पर हावी होनी जा रहीं हैं। दया, मानवता, सहायता, सहयोग जैसे शब्दों के मानने खो चुके हैं। उनके स्थान पर क्रूरता, आतंक, अन्याय, बलात्कार सरीखी घटनायें काबिज होती जा रही है। यह सब कुछ केवल चन्द देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समूची दुनिया को इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि धरती पर आतंक के हथियार से एक और विश्वयुद्ध की टंकार गूंज गुकी है जिसकी आवाज कहीं कम तो कहीं ज्यादा सुनाई दे रही है। मगर उससे बचा कोई भी नहीं है।

सीआईए सहित आईएसआई जैसे अनेक षडयंत्रकारी संगठनों के जासूसों ने वहां के मदरसों में जाकर मुल्क के कथित ठेकेदारों को विलासता, सम्पन्नता और सुरक्षित भविष्य की चासनी चटाई और उन्हें अपनों का हो दुश्मन बना दिया। छात्रों की आड में असामाजिक तत्वों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के हथकण्डे आजमाये और सफल भी हुए। इसके पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही प्रयास किये गये थे। वहां की प्राथमिक सफलता के बाद बंगलादेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। एक वर्ग विशेष को चिन्हित करके उसमें असामाजिक तत्वों को प्रवेश दिलाया गया। धनबल के आधार पर जनबल को प्रभावित किया गया। वास्तविक नेतृत्व को हाशिये पर पहुंचाकर संगठन पर कब्जा जमाने वाली कठपुतलियां को उनके सीमापार बैठे आका हारा नचाया जाने लगा। ऐसी जमातों के मध्य न तो अतीत की क्रूर दास्तानें मायने रखती हैं और न ही वर्तमान की घातक नीतियों के संकेत स्वार्थ के दलदल में आकण्ठ डूबे मीरजाफरों को केवल और केवल व्यक्तिगत लाभ, भावी पीढियों का संरक्षण और स्वयं की विलासता ही दिखती है। धर्म की सुरक्षा हेतु गुरुओं की शहादतों जाति विशेष के नरसंहारों, आस्था के संरक्षण में मिली गोलियों से छलनी हुए, शरीरों और आक्रान्ताओं के निर्मम प्रहारों तले रौंदी गई लाशों के हासों तक को अष्टिगत करके लालनियों की भीड़ ने कलुषित मानसिता वाले दुश्मनों की गोदी में खेलना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में साम्प्रदायिकता के विस्फोट हो रहे हैं। केवल इजराइल अकेला ऐसा देश है जो कट्टरता के विरुद्ध जी-जान से लड़ रहा है। उसके साथ कंधे से कधा लगाकर चलने के लिए एक भी देश, एक भी संगठन और एक भी समूह खुलकर सामने नहीं आया। आतंक के दावानल को समाप्त करने के लिए संकल्पित इस राष्ट्र को अमेरिका जैसे देश भी समय-समय पर झटके दे रहे हैं। समूचा यूरोप खामोशी के साथ हमास, हिजबुल्लाह, हूती सहित कट्टरपंथी आतंकियों की हरकतें देख रहा है। इनसे प्रभावित अनेक देश स्वयं के संसाधनों से अपनी शान्तप्रिय आवाम की सुरक्षा में लगे हैं। आतंक को पोषित करने वाले 'छम्मभेषधारी देशों के द्वारा पर्दे के पीछे से गजवा-ए- दुनिया का फतवा जारी कर दिया गया है। इसे जारी करने वाले तो पवित्र ग्रन्थ कुरान शरीफ की आयतों की मनमानी व्याख्यायें करके खुदा को आवाज को ही दवाने में जुट गये। अल्लाह के इस्लाम की जगह मुल्ला का इस्लाम लागू होने लगा है। ज्यादातर मदरसों में इंसानियत की किताबें जला दी गई हैं। उनके स्थान पर कट्टरता, निर्ममता और बरवरता के पाठ पढ़ाये जाने लगे हैं। ज्यादातर यतीतखानों को आतंकियों के आने में तब्दील कर दिया गया है। अनेक दवाखानी से दहशतगर्दी को नियंत्रित किया जा रहा है। मानवता की आड में अमानवीय कृत्यों की नित नई परिभाषायें दी जा रही हैं। दुनिया भर में साम्प्रदाचिक कट्टरता के अनेक रूप जेहाद के रूप में सामने आ रहे हैं। समूची इंसानियत को खून से नहलाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

दुनिया भर में कट्टरता की आग ने ज्वालामुखी बनकर मानवता को जलाना शुरू कर दिया है। बंगलादेश में तो खुलकर कलेआम चल रहा है, लूटपाट चल रही है और चल रही है समानान्तर सत्ता जन्द मीरजाफरों की दम पर हथिवारों के सौदागरों ने बांग्लादेश में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। जनसंख्या के अनुपात के नवीन विष ने तो आने वाले समय का खाका ही सामने रख दिया है परन्तु सत्ता के लालचियों की आंखों में अंतहीन विलासता का मोतियाबिन्द कुछ भी देखने नहीं दे रहा है।

दलगत राजनीति का लबादा ओढ़कर व्यक्तिवादी लोगों की भीड़ ने आत्मघाती हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगलादेश की धरती पर समाजहित के चिन्तन को नकाब बनाकर सत्ता हथियाने का जो प्रयोग हुआ है, वह निश्चय ही आगे वाले समय में अन्य देशों में भी दोहराया जायेगा। आबादी के आधार पर गूंजने वाली आवाजों में अब काफिरों के कत्ल के फरमान भी जारी होने लगे हैं। अनेक देशों में तो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जुल्म के शिकंजे में तड़फ तड़फ कर दम तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जलालत की इंतहां पर पहुंचती बलात्कारी घटनाओं से पूरे परिवार को नासूर देने का क्रम तेज किया जा रहा है। बेबस आंखों के सामने मासूमों के जिस्मों को रौदा जा रहा है जबरिया निकाह कराने, इस्लाम कुबूल करवाने और आंसुओं के समुन्दर में गैर मुस्लिम परिवारों को डुबोने की घटनायें आम होती जा रहीं हैं। झान, पाकिस्तान, तुर्की, लेवनान, फिलिस्तीन जैसे अनगिनत राष्ट्रों की संयुक्त जमाते अब खुलकर गजवा-ए-दुनिया वाले अघोषित फतवे पर काम कर रही हैं। चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की सरकारें भी आतंकवादियों के इशारों पर नाचने लगी हैं। शरणार्थियों की शक्ल में दाखिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होते ही वे अपने असली मंसूबे पूरे करने में जुट जाते हैं।

दुस्साहस की कहानियां अब साहस के किस्सों पर हावी होनी जा रहीं हैं। दया, मानवता, सहायता, सहयोग जैसे शब्दों के मानने खो चुके हैं। उनके स्थान पर क्रूरता, आतंक, अन्याय, बलात्कार सरीखी घटनायें काबिज होती जा रही है। यह सब कुछ केवल चन्द देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समूची दुनिया को इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि धरती पर आतंक के हथियार से एक और विश्वयुद्ध की टंकार गूंज गुकी है जिसकी आवाज कहीं कम तो कहीं ज्यादा सुनाई दे रही है। मगर उससे बचा कोई भी नहीं है।

▶ महाराष्ट्र में महिलाओं को मिला खास तोहफा

अब परिवार में मुख्यमंत्री बहन के रूप में मिलेगी महिलाओं को नई पहचान

पुणे। मैं अब आपको मुख्यमंत्री सर नहीं कहूँगी बल्कि भैया कहूँगी...ह्ल, ह्यघरखर्च के लिए अब पति के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी. सगे भाई भी मुझे पूछताछ नहीं करते लेकिन.. मुख्यमंत्री साहब मेरे साथ सगे भाई की तरह खड़े रहें है.ह्ल, ह्यमुझे मिले तीन हजार की कीमत तीन लाख इतनी है.., ह्यमेरी अपेक्षा से ज्यादा जल्दी पैसे मेरे खाते में जमा हुए है. रक्षाबंधन से पहले भाई का तोहफा मिला. !ह्ल राज्यभर के बहनों ने अपने मुख्यमंत्री भाई के पास व्यक्त की यह भावना है. इन भावनाओं से मुख्यमंत्री भी भावविभोर हो गए और आप सभी लाखों भगिनियों का आशीर्वाद की ताकद मेरे साथ है... इन शब्दों में उन्होंने भी भगिनियों के प्रेम का स्वीकार किया. पुणे । मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की दो किश्त की एकत्रित राशि (तीन हजार रुपये) भगिनियों के खाते में जमा होने की शुरूआत हुई है. आजतक तकरीबन 80 लाख भगिनियों के खाते में प्रत्येकी तीन हजार रुपये जमा हुए है और आज इस लाभार्थियों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रातिनिधिक स्वरूप में संवाद साधा. उस दौरान लाभार्थी भगिनियों ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए मैं अब मुख्यमंत्री की बहन हूँ.. ऐसी नई पहचान निर्माण होने की बात कहते हुए खुलकर अपने मुख्यमंत्री भाई से संवाद साधा.

राज्यभर के भगिनियों के चेहरे पर खुशी देखकर समाधान होने की बात कहते हुए कहा कि यह योजना सिर्फ चुनाव तक ही नहीं है बल्कि यह आगे भी रहेगी. योजना के लिए इस वित्त वर्ष के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और आपको योजना का लाभ मिलता रहेगा, यह आश्वासन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे ने अपने राज्यभर के बहनों को दिया.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनाह्ल के पैसे भगिनियों के बैंक खाते में जमा होने की खुशी होने होने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि भाई ने बहन को दिया हुआ यह तौफा है. आपका भाई आज मुख्यमंत्री है. वह मजबूती से आपके साथ है. लाडली बहन को दी हुई मदद सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिवार के लिए भी अनमोल ऐसी भेट है. इसलिए आपको किसी के सपने हाथ फैलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. बच्चों के शालेय सामग्री के लिए, आपकी दवाइयों और आपके व्यवसाय को बढ़ाने में इस पैसे का आपको उपयोग होगा. घर कैसे संभालना है, यह महिलाओं को अच्छी तरह से पता होता है. इसलिए इस योजना के माध्यम से उनके हाथों को और भी मजबूती प्रदान करने का काम सरकार ने किया ई. इस योजना के माध्यम से आप व्यवसाय बढ़ाएगी, इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उससे नौकरी देनेवाले बनें. इससे रोजगार के अनेक अवसर भी निर्माण होंगे. महिलाओं के सक्षमीकरण

के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. महिलाओं के लिए सरकार ने 108 योजनाएं शुरू की है. इन सभी योजनाओं की जानकरी लेकर उसका लाभ बहनें को लेने का आवाहन भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने इस दौरान किया.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि आज इस योजना के माध्यम से बहनों के साथ एक प्रेमभाव का नाता निर्माण हुआ है. आम, दुर्बल, गरीब, किसान, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, कामगार के लिए सरकार जो भी संभव होगा वह सब कर रही है. इन सभी के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलने पर लगेगा की, जो कार्य किया है वह सार्थक हुआ है. महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए उमेद के माध्यम से बचतगट सक्षम करने का काम सरकार कर रही है. पहले बचत गटो के लिए ऋण सीमा बढाकर 20 लाख रुपए तक बढाई है. अब इसमें 50 लाख रुपये तक वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहल करेंगे. शिक्षा को लड़कियां वंचित न रहें, शैक्षणिक फी की वजह से उनकी शिक्षा अधूरी न रहें, इसके लिए लड़कियों को शिक्षामें 100 फीसदी शुल्क माफ करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि युवाओं के हाथों को रोजगार मिलें, इसके लिए ह्यमुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनाह्ल चलाई जा रही है. इस योजना के माध्यम से राज्य में कुशल मानव संसाधन निर्माण किया जा रहा है. जिसका लाभ उद्योगों को भी होगा. राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग का निर्माण किया जा रहा है. उन उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होगा. महिलांओं को एसटी यात्रा में 50 फीसदी रियायत दी है. इसलिए एसटी लाभ में ही रही है. इसके अलावा वारकरियों को सरकार मदद कर रही है. ज्येष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना, मुख्यमंत्री तिर्थदर्शन योजना ऐसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. सिर्फ सड़क, पुल का निर्माण, संचार के संसाधन का निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं को चलाना भी महत्वपूर्ण है. इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए सरकार योजनाएं चला रही है.

किसानों के कृषि पंप का विद्युत शुल्क माफ किया गया है. 45 लाख कृषि पंप धारकों को इसका लाभ हुआ है. साथ ही नमो सन्मान योजना में केंद्र के 6 हजार रुपए के अलावा राज्य सरकार के 6 हजार रुपए से बढाकर 12 हजार रुपये किसानों को दिए जा रहे है.

कोई योजना शुरू करना आसान काम नहीं है. साथ ही यह एक दिन में नहीं बनती. ह्यलाडकी बहीण योजनाह्ल बनाने का काम पिछले 1 साल से शुरू था. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव के परिश्रमों से यह योजना सफल हुई है. गडचिरोली जैसे जिलों तक योजना पहुँचाने पर सभी अधिकारी वर्ग का मैं अभिनंदन करता हूँ. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना यहीं सरकार का उद्देश है. इसके लिए सरकार और प्रशासन दिनरात काम कर रहे है. इस दौरान महिला व बाल कल्याण विभाग के सचिव अनुपकुमार यादव समेत राज्य के सभी विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और लाभार्थी महिला वीडियो कोंफ्रेंस के द्वारा उपस्थित थी.

भारतीय जनमानस को एकजुट होने तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत

सन १९७१ में बंगलादेशके निर्माणमें भारत की प्रमुख भूमिका रही थी, उस देश के कट्टपंथियों ने अपनी चुनी हुई संरकार को अपदस्थ कर दिया और अब वहांके अल्पसंख्यको खासकर हिन्दुओं और बौद्ध अनुयाईयों के जानी दुश्मन बनें हुए है। 14 अगस्त, 1947 को भारतीय पुण्यभूमि खंडित हुई उस खंडित भूमिका नाम पाकिस्तान पड़ा। 2021 को 14 अगस्तको भारत सरकारने फैसला किया कि वह अब हर साल 14 अगस्त को भारतके विभाजन की त्रासदी को लेकर स्मृति दिवस मनायैगा। भारत विभाजनकी विभीषिका इतनी गहरी थी जिसकी कल्पना भी उन लोगोंके आज भी रोगटे खड़े कर देती है, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जिनके परिजवोंन विभाजन की विभीषिका को देखा- सुना है। विभाजन की भूमिका का बीज सबसे पहले 1909 में मार्ले मिंटो सुधारके तहत विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन अधिनियम में पड़ा था।

पहले कांग्रेस ने इसका प्रखर विरोध किया लेकिन 1916 में कांग्रेस ने लीम के साथ लखनऊ समझौते में स्वीकार कर लिया। यहींसे कांग्रेसने मुस्लिम साम्प्रदायिकताके आगे घुटने टेक कर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के आगे भारत के खंडित होनेतक लगातार झुकती रही।

1920 में असहयोग आन्दोलनमें तुकीर्के अपदस्थ खलीफाके समर्थनमें खिलाफत को भी इस आन्दोलनमें गांधी जीके प्रभावमें जोड़ दिया गया जिसका भारतीय भूमि से कोई लेना-देना नहीं था। इंदुलाल याज्ञिकने अपनी किताब गांधी 'एज आई न्यू हिम ' में लिखा कि हमने गांधी जी से यह सौदा कभी नहीं किया था कि हम उनके साथ किसौ धार्मिक या धार्मिक राजनीतिक आन्दोलनमें शामिल होगें। आन्दोलनकी सभासिके बाद पुरे देशके छोटे-बडे शहरोंमें दंगे हुए, मालाबार में तो हिन्दुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। कांग्रेस कार्यसमिति में इस कुकृत्य को खुलकर निन्दा नहीं हुई।

अम्बेडकर ने अपनी किताब 'पाकिस्तान और भारत विभाजन'में लिखा कि महात्मा गांधीने नरसंहार करने वाले के बारे में कहा कि मोपला धर्मभीरु वीर लोग है जो उनके विचार से धर्मसम्मत है । पाकिस्तानके हिन्दुओं ने सिंध को तत्कालीन बम्बई प्रान्त से अलग न करने की माग को लेकर गांधी से कहा ऐसा करनेसे वे अल्पसंख्यक हो जाएगे उनके जीवन पर पहले से अधिक खतरा हो जायगा।

इसपर गांधी जीने 10 फरवरी, 1940 के समाचार पत्र के द्वारा कहा कि हिन्दुओं को अपनी जानमाल की हिफाजत करने का तरीका खुद खोजना होगा । नतीजा सिंध, बंबई प्रान्तसे अलग हुआ और हिन्दू समुदाय अल्पसंख्यक हो गये। उन पर हमलों की संख्यामें जबरदस्त वृद्धि हुई। इसमें कोई शके नहीं कि गांधीने खेड़ा, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा आन्दोलनके द्वारा भारतीय जन-समुदाय को स्वतंत्रता की चेतना से जोड़ दिया परन्तु साम्प्रदायिकता के आगे वह लगातार घुटना टेकते रहे जिससे मुस्लिम लीग को ताकत मिलती गयी और वह लगातार मजबूत होती चली गयी। भारतीय भू- भाग को अलग होने और पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया कुछ दिनोंमें पूरी नहीं हुई यह लम्बे कुटिल, कुत्सित प्रयासों और राष्ट्रवादी विचारों की दीर्घकालीन असफलताओ के चलते हुआ है। अविभाजित भारत लाहौर के रहने वाले प्रोफेसर एएन बाली, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से बटवारे को देखा था। उन्होंने बंटवारे के पीछे की कुटिलताओं और राष्ट्रीय असफलताओं को भी अपनी आंखोंसे देखा था। उन्होंने बंटवारे पर 'नाउ इट कैन बी टोल्ड' नामक पुस्तक लिखी हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा कि कैसे लाहौर जो कि हिन्दू बाहुल्य 1941 तक था। मुस्लिम लीग ने एक हिन्दू पार्षदके वोट के चलते लाहौर नगर निगम में बहुमत प्राप्त कर नगर निगम द्वारा ग्रामीण मुस्लिम इलाकों को मिलाकर लाहौर को मुस्लिम बाहुल्य बना दिया था। बटवारे तय होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने अंतिम समयतक यह तय नहीं किया था कि लाहौर, कलकत्ता और दिल्ली पाकिस्तान में रहेगा या भारत में । हिन्दुओं के बहुमत के कारण कलकत्ता और दिल्ली तो भारत को भिल गये परन्तु प्रभु श्रीराम के पुत्र लव का बसाया शहर लाहौर, हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाने के कारण पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। साम्प्रदायिकता से नतमस्तक होने और तुष्टीकरण नीति के चलते भारत का दुःखद विभाजन हुआ और विभाजन की ऐसी विभीषिका जनमानस ने झेली जिसका वर्णन करना मुश्किल है।

विभाजनके दौरान ब्रिटिश अधिकारी मोसेले जिसने अपनी आंखों से दुःखद विभाजन को देखा था। उसने बताया था कि पाकिस्तानसे भारत में आनेवाला एक जत्था 73 मील का था। ये लम्बे जत्थे इसलिए चलते थे क्योंकि जत्थों में शामिल लोगोंको लगता था कि बड़े जत्थे के साथ चलना उनके लिए ज्यादा सुरक्षाजनक हो सकता है । फिर भी हालात इतने बुरे थे पाकिस्तान के मुस्लिम बलवाई जत्थों हमला करके सामान, महिलाओं, युवतियों को लूट लेते थे फिर भी जत्था रुकता नहीं था और चलता ही जाता था। विस्थापित हो रहे परिजन और पीड़ित असहाय होकर हमेशा के लिए स्वजनोंसे बिछड़ जाते थे। विभाजन की विभीषिका का वर्णन किताब फ्रीडम मिंडनाइट चिल्ड्रेन तथा लेखक गुरुदत्त की कई पुस्तकोंमें जिन्होंने विभाजन स्वयं झेला था सहित कई किताबोंमें वर्णत है। जात इतिहास्में मात्र छह महीनो में इतनी बड़ी तासदी आधुनिक दुनियामें शायद ही कहीं हुई हो।

धर्मशास्त्रों में रक्षा बन्धन का विशेष महत्व

भारत में रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला पर्व माना गया है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दौरान भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, और क्षमता के अनुसार उसे उपहार देता है। रक्षाबन्धन का पर्व भाई-बहिन के स्नेह का प्रतीक देश का एक प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबन्धन पर्व में रक्षासूत्र यानि राखी का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाये जाने के कारण इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण, गुरु द्वारा भी राखी बांधी जाती है।

हिन्दू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षासूत्र बांधते समय पण्डित संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। जिसमें रक्षाबन्धन का सम्बन्ध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह श्लोक रक्षाबन्धन का अभीष्ट मन्त्र है।

येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः
तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचलः

इस श्लोक का अर्थ है जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली दानवेन्द्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित मत होना।

रक्षाबंधन का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। लेकिन भविष्य पुराण में इस पर्व का वर्णन मिलता है। जब देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। तब देवताओं पर दानव हावी होने लगे। देवराज इन्द्र ने घबरा कर देवताओं के गुरू बृहस्पति से मदद की गुहार की। वहां बैठी इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मन्त्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इन्द्र इस लड़ाई में इसी धागे की मन्त्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिये फिर से प्राप्त किया था। हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में ही रक्षाबन्धन से सम्बन्धित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तान्त भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाडकर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबन्धन के पर्व में यहीं से प्रारम्भ हुई। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं। तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिये राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुन्ती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं।

स्कन्ध पुराण, पद्मपुराण और श्रीमद्भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबन्धन का प्रसंग मिलता है। दानवेन्द्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इन्द्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेष धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी राजा बलि ने तीन पग भूमि दान कर दी। भगवान ने तीन पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। कहते कि पाताल लोक में राजा बलि ने भक्ति के बल पर भगवान विष्णु से रात-दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबन्धन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आयीं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिये नारियल अर्पित करने की परम्परा भी है। राजस्थान में रामराखी और चूड़ाराखी या लूंबा बांधने का रिवाज है। रामराखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बाँधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों की चूडियों में बांधी जाती है। राजपूत योद्धा जब शत्रु से युद्ध करने जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम का तिलक लगाने के साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी। इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हे विजयश्री के साथ वापस ले आयेगा।

उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की अतिविख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारम्भ होकर रक्षाबन्धन के दिन सम्पूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहां का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। नेपाल के पहाडी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षत्रीय समुदाय में रक्षा बन्धन गुरू के हाथ से बांधा जाता है। लेकिन दक्षिण सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं। नोबेल पुरष्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए इस त्योहार को मनाने को प्रोत्साहित किया था। वह इस त्योहार के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच एक मजबूत संबंध बनाना चाहते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के हाथों पर राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया, जो भाईचारे और अपने समुदाय के लिए प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार का जश्न ब्रिटिश शासकों और बंगाल के विभाजन और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रयास था। रक्षाबन्धन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराये घर में चली जाती है। इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूरदराज के रिश्तों के भाइयों तक को उनके घर जाकर राखी बांध कर अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती रहती है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी एक सूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गयी है उसे फिर से जागृत किया जा सकता है। रक्षा बंधन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति इतनी लचीली है कि इस में हर संस्कृति समाहित होती चली जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से असम तक देखें तो यहां के लोग प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार मनाते मिलेंगे।

बौद्धवादी सभ्यता के विपरीत है ये मानसिकता

मैं उम्मीदवादी हूँ और मेरा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व के 4 बड़े संप्रदायों - हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख - एवं उनके दर्शनों की उत्पत्ति की भूमि है। इन सभी मान्यताओं में कर्मकांडों सहित अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करने पर जोर दिया है। हम अब भी मरणोपरांत के कर्मकांडों से मोक्ष की प्रक्रिया में सम्मिलित हो इस बहुमूल्य जीवन के उद्देश्य से जुड़ते दिख जाते हैं। आप में से कई लोग होगे जिन्होने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया होगा, निश्चय ही उन सभी को आगे आकर पहले खुद को आहूत करना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी आजादी के लिए प्रोत्साहन देना होगा। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ वह घृणित है मेरी आप सबसे विनती है कि कुछ समय निकालें और अपने भावनाओं को पश्चिम बंगाल के तानाशाह सरकार के खिलाफ करें, उस बेटी के पक्ष में आगे आए और दरिंदो के लिए फांसी की मांग करें । ज्यादा धार्मिक ज्ञान ना दें। अगर मृत्यु पूर्व आपका शरीर किसी एक को भी न्याय दिला गया तो इससे बड़ा कोई मोक्ष नहीं होगा। उसकी और उसके करीबियों की दुआएँ आपको मरने के बाद भी मिलेगी। वैसे भी एक मृतक अंग दाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। 2 दान की गई किडनी 2 रोगियों को डायलिसिस उपचार से मुक्त कर सकती है। एक दान किया गया लीवर प्रतीक्षा सूची में शामिल 2 रोगियों में बांटा जा सकता है। 2 दान किए गए फेफड़ों का मतलब है कि 2 अन्य रोगियों को दूसरा मौका दिया जा सकता है, और एक दान किया गया अग्न्याशय और दान किया गया हृदय 2 और रोगियों को जीवन का उपहार देता है। यह वैज्ञानिक अवबोध है किन्तु नवबौद्धवादी इस अवबोध को भी नहीं मानते। एक ऊतक दाता कोई ऐसा व्यक्ति जो हड्डी, टेंडन, उपास्थि, संयोजी ऊतक, त्वचा, कॉर्निया, श्वेतपटल और हृदय वाल्व और वाहिकाओं का दान कर सकता है - 75 लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है किन्तु देश के कुछ कुत्सित उतप्रेक्षक इसे छल कहते है शोषण कहते है। इसके अलावा लोगों में जागरूकता की कमी भी एक बाधा है जिससे कि समय रहते निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और मृत्यु पश्चात परिवार वालों से शोक, क्रियाकर्म और अन्य धार्मिक रिवाजों की पूर्ति की जद्दोजहद के बीच अंगदान की बात करना आपको असंवेदनशील की केटेगरी में डाल सकता है किसी नें अपना शरीर भी शोध के लिए दान देने का निर्णय लिया क्या जिसके कारण शरीर के साथ कोई भी धार्मिक रिवाज के अनुसार कुछ भी छेड़खानी न हो और यह आगे जाकर किसी नई चिकित्सा के खोज में काम आ सके, इससे लाखों, करोड़ों जानों को बचाने की संतुष्टि मिलेगी। हम सभी भारत को विश्वगुरु बनते देखना चाहते हैं, लेकिन विश्वागुरू बनने के लिए लोगों में जागरूकता एवं साथी नागरिकों को लेकर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हम अक्सर पश्चिमी देशों को संवेदनशीलता के मामले में हमसे पीछे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते लेकिन अंगदान को लेकर वो हमसे कहीं अधिक जागरूक हैं और बढ़चढ़कर इसमे हिस्सा लेते हैं।धर्म और दर्शन की उत्पत्ति की इस भूमि से पश्चिमी देश आगे कैसे निकले? उन के नेता, उनकी मशहूर हस्तियाँ - चाहे वे फिल्म उद्योग के लोग हों, खिलाड़ी हों, प्रसिद्ध राजनेता हों, सार्वजनिक जीवन में अन्य लोग हों - वे आगे आए और सभी उपलब्ध मंचों पर इस मुद्दे पर बात करना शुरू किया, और इससे लोगों में अंगदान को लेकर रुचि पैदा हुई। दूसरी बात जो पश्चिम के बहुत से देशों ने की, वह थी इसे ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना। एक बड़े डॉक्टर ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, ₹हम हाल ही में कनाडा में थे और हमें पता चला कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको एक डोनर कार्ड भी दिया जाता है। आपको उससे गुजरना होता है। वहाँ एक काउंसलर होगा जो आपको परामर्श देगा, आपके सवालों के जवाब देगा, और ज्यादातर लोग ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के समय ही दान करने और डोनर बनने के लिए सहमत हो जाते हैं। कुछ लोग जो 'नहीं' कहते हैं, उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार परामर्श दिया जाता है, और अधिकांश लोग 'हां' कहने लगते हैं। कुछ लोग, जो फिर भी 'नहीं' कहते हैं, उनसे कहा जाता है कि यदि आपको कभी अंग की आवश्यकता हुई, तो आप प्रतीक्षा सूची में सबसे नीचे होंगे, जिसका अर्थ है कि आपको अंग मिलने की संभावना नहीं है, जो एक बार फिर उन्हें झटका देता है और उन्हें दाता में बदल देता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी लोग जिनके पास लाइसेंस है, वे दाता हैं।

पंकज कुमार मिश्रा,
जौनपुर यूपी

लोकतंत्र एक मांग आधारित शासन प्रणाली

गत एक अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ के द्वारा देवेंदर सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में दिए गए फैसले के बाद उत्तर भारत में खलबली मची है। वहीं दक्षिण भारत में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षण के कोटे में उपकोटा राज्य सरकारों द्वारा तय किया जा सकता है। इस फैसले को लेकर उत्तर भारत में तस्वीर अलग है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से अनुसूचित जातियों की एकता खतरे में पड़ जाएगी। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि यह भाजपा व आरएसएस का राजनीतिक षड्यंत्र है। ऐसी ही बातें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कही हैं। कुछ यह भी कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों में शुमार वे जातियां जो पीछे रह गई हैं वे इस कारण से पीछे रह गई हैं क्योंकि उन्होंने डॉ. आंबेडकर की राह का अनुसरण नहीं किया। मतलब यह कि उन्होंने शिक्षा को महत्व नहीं दिया और अपने पारंपरिक घृणित पेशे को अपनाए रखा। कुल मिलाकर जो तस्वीर अभी सामने दिख रही है वह कमोबेश वैसी ही है जैसी कि आजादी के पहले थी जब डॉ. आंबेडकर अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बतौर उदाहरण यह कि ह्यआप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आपसे बेहतर लड़ाई लड़ सकता हूं। किंतु मेरी केवल एक शर्त है। मुझे बताओ कि स्वराज में हमारी हिस्सेदारी क्या होगी?'

यह सवाल डॉ. आंबेडकर ने पूछा था। यह सवाल तब बांबे सेंटीनल' के 28 अप्रैल 1942 के अंक में एक खबर के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था जिसके मूल में संदेश था ह्ययदि सत्ता में भागीदारी नहींङ्क तो स्वराज की लड़ाई में सहयोग नहीं'। दिलचस्प यह कि महात्मा गांधी के द्वारा ह्यकरो या मरो' के आह्वान के बीच ही अपने लोगों के लिए यह शर्त रखने वाले डॉ. आंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने संविधान में अछूतों के लिए सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा और विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तब इस सवाल पर संविधान सभा की बैठकों में हंगामे भी हुए। एक तरफ डॉ. आंबेडकर थे तो दूसरी तरफ वे जो अछूतों के आरक्षण के विरोध में खड़े थे। आरक्षण के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे थे उनमें मुख्य तर्क यही था कि आरक्षण के कारण यदि अछूत शासन-प्रशासन में भागीदार बनेंगे तो उनकी अयोग्यता प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करेगी। सवाल मेरिट का था लेकिन डॉ. आंबेडकर इस बात को लेकर दृढ़निश्चयी थे कि यदि मौका मिला तो सदियों से वंचित रखा गया यह समुदाय अपने हकअधिकार के लिए उठ खड़ा होगा। और तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद यही हुआ। आरक्षण विरोधी कौमों के सवाल बेमानी साबित हुए। अतीत में हुए एक और सियासी घटना पर नजर डालते हैं। साल था 1979। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कपूर्री ठाकुर ने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने प्रारंभ में ही पिछड़े वर्गों को दो भागों में बांट दिया था। एक था पिछड़ा वर्ग जिसमें यादव कोइरी और कुर्मी सहित पिछड़ा वर्ग की तमाम बड़ी जातियां थीं। इसमें होता यह है कि जनता अपने वोट से अपने लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन ही इसलिए करती है ताकि वह अपनी मांग रख सके। यह मांग कुछ भी हो सकता है। मसलन अच्छी सड़क अच्छे अस्पताल अच्छे स्कूल-कॉलेज आदि की मांग के अलावा शासनङ्गप्रशासन में भागीदारी की मांग भी। दूसरी बात यह कि जनता कोई भी मांग एकदम से नहीं करती। उसकी हर मांग के पीछे एक विशेष परिस्थिति होती है। जैसे कि जब पंजाब सरकार ने यह तय किया था कि राज्य के अनुसूचित जाति के कोटे में उपकोटा तय कर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी उन जातियों को दी जाएगी जो शासन-प्रशासन में भागीदारी में बहुत पीछे रह गए हैं तब यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ऐसे ही जब नीतीश कुमार ने दलित जातियों में महादलित' का विचार दिया था। दरअसल आज मेरिट का सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि अनुसूचित जातियों के एक खेमे द्वारा यह कहा जाना कि अभी उनके लिए देय आरक्षण की पूर्ति ही नहीं की जा रही है तो उपकोटे का विचार बेमानी है आधारहीन नहीं है। यह तो सरकारी रिपोर्टों में आ चुका है कि चाहे वह सरकारी विभागों मंत्रालयों में नौकरियों का सवाल हो या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल' एक चर्चित मुहावरा बन चुका है लेकिन इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं या कहिए कि जिन्हें यह लाभ मिल पा रहा है- उनमें डोम, मेहतर, खटिक, मुसहर और धोबी आदि जातियों की हिस्सेदारी न्यूनतम है। देश को आजाद हुए सात दशक से अधिक समय बीत चुका है। सवाल यही है कि आखिर कब तक इन जातियों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा? आखिर उत्तर भारत कब दक्षिण भारत के जैसे उदार बनेगा ताकि डॉ. आंबेडकर का समता स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मूल्यों पर आधारित भारत का सपना साकार हो सके दूसरा था अति पिछड़ा वर्ग। यह कोटे में कोटे का पहला उदाहरण था, लेकिन तब भी इसका विरोध इस कदर किया गया कि आरक्षण विरोधियों ने कपूर्री ठाकुर को गंदीझगंदी गालियां दीं। बाद में जब १९९० में मंडल आयोग की अनुशंसा पर पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने की घोषणा वी.पी. सिंह द्वारा सदन में की गई तब सड़कों पर आरक्षण विरोधियों का हुजूम उतर गया था।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद जो ङ्घश्य उत्तर भारत में देखने को मिल रहा हैङ्क वह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती अगर यह विरोध अनुसूचित जाति समूह के कुछ खास जातियों के द्वारा नहीं किया जा रहा होता। हो यह रहा है कि आजाद भारत के सात दशकों में शासनङ्गप्रशासन में सबसे अधिक भागीदारी पाने वाला समुदाय अब अपने ही समान अछूत मानी जाने वाली जातियों के हक के विरोध में खड़ा है। जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि जो तर्क संविधान सभा में अछूतों के आरक्षण के विरोधी तर्क दिए जा रहे थे और आज जो अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। वैसे भी यह स्वीकारने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र एक मांग आधारित शासन प्रणाली है।

घूँघट की बगावत

18 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

बेहतरीन औरत आजादी की बजाय सुपर वूमन बनने की तरफ ढकेली जा रही

आजादी कोई तमगा नहीं है जिसे स्त्री को जीतने के लिहाज से प्रतिस्पर्धा करने को उतावली हो उठे। न ही आजादी देने वाली चीज है। जो उधारी की तरह बांटी जाती रहे। आजादी सिर्फ गुलामी से होती है। दैहिक, मानसिक, आर्थिक आजादी के साथ जीने की भी आजादी सोचने की आजादी। जीनके की आजादी। बात-बात पर अंगली उठाने या परंपराओं/ दकियानूसी रिवाजों की बंदिशों में बांधे रहने से आजादी जरूरी है। जेहनी तौर पर पुरुषवादी वर्चस्व से औरतों को चाहिए संपूर्ण आजादी बगैर किसी न नुक्र के।

जब बात औरतों की हो तो आजादी की भी होनी चाहिए। मगर औरतों की आजादी को लेकर अपने मर्दवादी समाज में अभी भी त्योरियां बढ जाती हैं। कहना तो यही है कि आजादी के बाद भी औरतें अपनी आजादी के बारे में अनिश्चित ही हैं। वे जिन चीजों को आजादी मान बैठी हैं, वे दरअसल तबदील हुई परिस्थितियां मात्र हैं। उन्हें अपने वजूद का अहसास तक नहीं है। वे आजाद परिन्दों की तरह पंख फैलाने को राजी नहीं हैं। डर-डरकर जीने या संशय में जीवन काटने वाली यह कौम बेखौफ नहीं हो पा रही है। उसने मान लिया है कि पुरुषों द्वारा दी जाने ढील को ही अपनी आजादी स्वीकार लेंगी। खांटी मर्दवादियों ने बंदिशों को तनिक कमजोर कर लिया है। जकड़नों के दरम्यान सुराखों बड़ी हो चुकी हैं। जिन्हें नई स्त्री ने आजादी मानने की गलती कर दी है। माफ करें, औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों में जब तक कमी नहीं आती, तब तक कोई कैसे कह सकता है कि औरतों के मुनासिब समाज हो रहा है? बशर्ते लड़की पढ़ रही है, पहले के मुकाबले बेहतर शिक्षा पा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। आत्मनिभरता के प्रति जागरूक हो रही है। बावजूद इसके वे इस बेरहम समाज में पुरुषों द्वारा की जा रही ज्यादती से ता-उम्र जूझती हैं। उनके दिमागों में बेहद चालाकी से ठूंसा जा रहा है कि उन्हें बेहतरीन औरत बनना है। ये बेहतरीन औरत आजादी की बजाय सुपर वूमन बनने की तरफ ढकेली जा रही है। जो भीतर से पारंपरिक तो रहे ही, पर नजर आए स्मार्ट, तेज-तर्रार। वह मर्द के बराबर पढी-लिखी हो, कमाती हो, मगर इसके बावजूद वह आम घर-गृहस्थी, करने वाली भी बनी रहे। वह गर्भावस्था, प्रसव के बाद नवजात को पालने में कोई कोताही न बरते। बच्चे पाले, इन्हें शऊरदार बनाए, स्कूल में दाखिला कराए, उनको होमवर्क कराए, उनकी स्कूल की मीटिंगों में जाए। यही नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स, आर्ट्स-संगीत व अन्य हुनर वाली क्लासेज में लेकर भी जाए। ससुरालियों की खिदमत करे, और तीज-त्योहार मनाने में कोई कोताही न बरते। वे भूल जाते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के दरम्यान औरत की आजादी पांव तले कुचल जाती है।

बशर्ते लड़की पढ़ रही है, पहले के मुकाबले बेहतर शिक्षा पा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। आत्मनिभरता के प्रति जागरूक हो रही है। बावजूद इसके वे इस बेरहम समाज में पुरुषों द्वारा की जा रही ज्यादती से ता-उम्र जूझती हैं। उनके दिमागों में बेहद चालाकी से ठूंसा जा रहा है कि उन्हें बेहतरीन औरत बनना है। ये बेहतरीन औरत आजादी की बजाय सुपर वूमन बनने की तरफ ढकेली जा रही है। जो भीतर से पारंपरिक तो रहे ही, पर नजर आए स्मार्ट, तेज-तर्रार।

ध्यातव्य है कि बरेली में औरतों का हत्यारा जिसे सीरियल किलर कहा जा रहा है, पुलिस ने इसे साइको बताया। कह रहे कि उसे औरतों से नफरत है। वह मझोली उम्र की औरतों से पहचान बढता फिर उनसे दैहिक संध बनाने की कोशिश करता। औरत के इंकार करने या ना नुकुर करने पर उनके दुपट्टे या पल्लू से गला दबा देता। 45 से 55 वर्ष की इन मारी गई औरतों की लाश वह किसी सुनसान में फेंकता रहा।

तेरह महीनों के दरम्यान उसने नौ औरतों को मौत के घाट उतारा। सिरफिरा सा नजर आ रहे हत्यारे कुलदीप ने दरिंदगी के बारे में स्वीकार भी किया है। हैरानगी इस बात की पुलिस किस ढिठाई से दरिंदे का पक्ष लेते हुए उसे कुंठित और साइको बता रही है। जो स्टोरी मीडिया में गढ़ी गई वह बता रही है कि नौ मासूम औरतों को मरने वाले इस खौफनाक दरिंदे का बचपन बहुत खराब था। उसकी सौतेली मां ने बहुत अत्याचार किये। उसकी बीवी ने तंग आकर उसे छोड़ दिया। हालांकि उसकी हालत देखकर नहीं लगता कि वह हत्याएं इतनी आसानी से करता होगा। यह तो बाद की बात है। अंत में तो गवाहों और तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि इन औरतों की हत्या कै से हुइ। परंतु किस आजादी की उम्मीद हम कर रहे हैं और किससे?

अपनी कुंठाओं, प्रताड़नों और दुर्व्यवहार के लिए अनजान और मासूम औरतों के साथ दरिंदगी कर उनकी हत्या करने वाले के प्रति किस तरह की मुलायमियत ?

वाद-विवाद एवं तर्क-वितर्क संसदीय लोकतंत्र का प्राण

लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा था- हमारे राजतंत्र में सत्तारूढ एवं विपक्षी का उचितस्थान है और दोनो का एक समान महत्व है। वह एक गाडी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया अयोग्य हो जाता है तो दूसरा बेकार हो जाता है। वह परस्पर आश्रित है। दोनों का निर्वाचकों के प्रति कर्तव्य है कि वे उन्हें चुनने वाले लोगों के हिताथ इस प्रणाली को ठीक ढंग से चलाएं।

संसदीय शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों का होना आवश्यक है। ब्रिटेन जो कि संसदीय लोकतंत्र का जन्मदाता है, में महत्व की दृष्टि से महामहिम के विपक्षी दल का स्थान महामहिम की सरकार के बाद होता है। अपने विश्वविख्यात ग्रंथ- कै बिनेट गवर्नमेंट में सर आवइर जेनिंग्स ने कहा है- लोकतांत्रिक सरकार के लिए न केवल संसदीय बहुमत की आवश्यकता होती है बल्कि संसदीय अल्पमत की भी। अल्पमत दल सरकार की आलोचना करता है, क्योंकि वह सरकार की नीतियों से सहमत नहीं। वैकल्पिक सरकार के रूप में विरोधी दल सदैव सुलभ रहता हे और साथ ही जनता के असंतोष प्रकट करने का वह एक मुख्य साधन है। इसके कार्य भी लगभग उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि सरकार के। यदि विरोधी दल न हो तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता।

विपक्ष दल का कार्य क्या है?

यदि सरकार का कार्य शासन करना है तो विपक्षी दल का कार्य सरकार की आलोचना करना है। आलोचना विपक्षी दल का अधिकार ही नहीं कर्तव्य है वही दूसरी ओर विपक्ष इसके माध्यम से सरकार की कमजोरियों को जनता के समक्ष उजागर करता है जिस–से कि अगले आम चुनाव में वह मतदाताओं का समर्थन प्राप्त कर सके। इसलिए आवश्यक है कि विपक्ष निर्भीक होकर समाज एवं राष्ट्रहित के सभी प्रश्नों पर विचार करे और सरकार उसके मार्ग में बाधा डाले। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आलोचना प्रत्यालोचनाओं का उत्तर दे। और अगर उससे भूलहुई है तो उसे सुधारे। सरकार को आलोचनाओं का तर्क पूर्ण उत्तर देना चाहिए न कि विपक्ष का दमन कर उसकी आवाज को बन्द करना चाहिए। विपक्ष आलोचना करने का अधिकार सरकार नहीं समझती है। वह संसदात्मक शासन प्रणाली नहीं बल्कि तानाशाही की जड़ें मजबूत करती है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रव्यापी सहिष्णुता होनी चाहिए। शांतिपूर्वक विचार-विनिमय में में समर्थ आलोचना का दमन नहीं बल्कि परीक्षण सहयोग व मित्रता की भावना होना संसदीय लोकतंत्र का सार है। 'इंग्लैंड का संसदीय लोकतंत्र' नाम से विख्यात ग्रंथ के लेखक महान राजनीतिशास्त्री प्रोफेसर हेराल जे. लास्की ने लिखा है- यदि सरकारी पक्ष विरोधी पक्ष के सामने बधिक की मुद्रा में खड़ा हो तो स्पष्ट है कि वाद-विवाद कठिन हो जाएगा एवं शांति-असंभव हो जाएगी। लोकतंत्र के लिए दलबंदी आवश्यक है किन्तु यदि दलगत भावना चरम सीमा पर पहुंच गई तो लोकतंत्र ठीक ढंग से कम नहीं कर सकेगा। ऐसी सरकार जिसका दोनों सदनों पर नियंत्रण हो बड़ी आसानी से विपक्ष को दबा सकती है और ऐसा विरोधी दल को बहुमत के शासन को स्वीकार न करे, संसदीय शासन पद्धति को निष्क्रिय बना सकता है। व्यवहार में सरकार का संचालन सहमति और विरोध दोनों के द्वारा होता है जिसे समझौते द्वारा मूक मान्यता प्राप्त है। निःसन्देह पारस्परिक सहिष्णुता सुन्दर नीति है। पर क्या विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। प्रत्येक बात पर सरकार का विरोध करना तथा उसे उखाड़ फेंकना है संसदीय विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि सत्तारूढ दल का हर मामले में विरोध किया जाय। राष्ट्रीय आपात काल में जैसे युद्ध में जनतांत्रिक विपक्ष पूरे मन से सरकार का सहयोग करता हे। कुछ विशेष मामलों में सामान्यकाल में भी सत्तारूढ दल व विपक्ष में एक सीमा तक बड़ी सहमति हो सकती है, जैसे कि विदेश नीति।

सत्ता पक्ष व विपक्ष में लगातार विचार-विमर्श होना आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि दोनों पक्षों को अपने कक्ष में आमंत्रित कर बातचीत के जरिए अनेक गतिरोधों को सुलझा सकता है। प्रधानमंत्री व नेता प्रतिपक्ष में भी एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान व सहयोग की भावना होनी चाहिए।

जुलाई-अगस्त में संसद से लेकर विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों के मानसून सत्र चलते हैं। हर व्यवस्थापिका सभा का अपना अलग-अलग एजेंडा होता है और सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दे भी अलग-अलग होते हैं। पर एक बात संसद से लेकर राज्य विधान मंडलों तक समानरूप से देखी जा सकती जा रही है। कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष एक दूसरे के मित्र व सहयोगी के रूप में नहीं वरन् शत्रु भाव से काम कर रहे हैं। संसद एवं विधान मंडल तर्क पूर्ण बहस होने के बजाय एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने, कड़वी स्तरहीन बात कहने, अपनी बात के आगे दूसरों की बात न सुनने के मंच बन गये हैं। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए नहीं वरन् युद्ध के मैदान में एक दूसरे से लडने वाली सेनाओं की तरह खड़े लगते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने जिनमें से अधिकांश को संसदीय कार्य करने का अनुभव था इसकी कल्पना भी न की होगी कि संसद एवं विधानसभाओं का बेशकीमती समय टोका-टोकी, नारेबाजी, हो हल्ले में निकल जाता है और कोई सार्थक बहस नहीं हो पाती, जब कि वाद-विवाद , तर्क - वितर्क संसदीय लोकतंत्र के प्राण हैं।

सरकार ऐसे विषयों पर विधेयन का प्रस्ताव कर सकती है जिसकी कि भूतकाल में विपक्ष मांग करता रहा है। ऐसी दशा में स्वभावतः विपक्ष कुछ विस्तार की बातों को छोड़ कर विरोध नहीं कर सकेगा। विपक्ष नीति सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव पेश कर सकता हे जिसे सरकार आसानी से जनमत के दबाव में या सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता के कारण स्वीकार कर सके। पर इन बातों से इस आधारभूत तथ्यों को नहीं भुलाया जा सकता कि विपक्ष का मूल काम जहां अवसर मिले, सरकार का विरोध करना है। सत्ता पक्ष व विपक्ष में लगातार विचार-विमर्श होना आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि दोनों पक्षों को अपने कक्ष में आमंत्रित कर बातचीत के जरिए अनेक गतिरोधों को सुलझा सकता है। प्रधानमंत्री व नेता प्रतिपक्ष में भी एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान व सहयोग की भावना होनी चाहिए। सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के सचेतक भी सलाह करके चर्चा के लिए विषय उसपर लगने वाले समय की रूपरेखा निश्चित कर सकते हैं, जिन मामलों पर अधिक मतभेद हो उसे पीठासीन अधिकारी की मदद से सुलझाया जा सकता है। सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष को याद रखना होता कि यदि उन्हें शांतिपूर्ण काम करना है तो शांतिपूर्वक साथ-साथ विचार-विनिमय में भी समर्थ होना चाहिए-उन्हें चाहिए कि वे वर्तमान वस्तुओं की आलोचना का दमन करने के लिए कमर कसें वरन आवश्यकता पड़ने पर उसके परीक्षण को आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत रहें। संसदीय जनतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष लोकतंत्र की कुछ मूल भूत शर्तों को स्वीकार करे। ऐसी शर्तें हैं- बहुमत शासन तो करे, पर अल्पमत को दबाने का प्रयास न करे, ऐसे प्रश्न सुलझाने के लिए जिसके कारण राजनीतिक दलों में इतना बड़ा मतभेद हो गया हो तथा सर्वसम्मत समाधान आवश्यक है।, तो विपक्षी दलों के साथ समझौता किया जा सकता है। सरकार और विरोधी दल दोनों एक दूसरे की ईमानदारी पर विश्वास करें। उनमें मानसिक समझौता एवं पारस्परिक विश्वास की भावना बनी रहे। संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए शासक दल एवं विपक्ष दोनों में मतभेदों के साथ सामंजस्य भी आवश्यक है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा था- हमारे राजतंत्र में सत्तारूढ एवं विपक्षी का उचितस्थान है और दोनो का एक समान महत्व है। वह एक गाडी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया अयोग्य हो जाता है तो दूसरा बेकार हो जाता है। वह परस्पर आश्रित है। दोनों का निर्वाचकों के प्रति कर्तव्य है कि वे उन्हें चुनने वाले लोगों के हिताथ इस प्रणाली को ठीक ढंग से चलाएं।

प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत का संसदीय लोकतंत्र एवं व्यवस्थापिका सभाएं संसदीय लोकतंत्र के मानदण्डों एवं भावना के अनुसार कार्य करेगा। यह तभी सम्भव है जबकि सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य सार्थक संवाद हो। इसमें भी विपक्ष से अधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है जिसे अहंकार त्यागकर मेल-मिलाप का मार्ग प्रशस्त करना होगा

आरक्षण के कोटे के उपविभाजन के विषय में सुप्रीमकोर्ट का निर्णय स्वागतयोग्य

इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं मगर अपनी दो भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान आम लोगों की स्थिति देखने के बाद राहुल गांधी, जाति जनगणना के प्रबल समर्थक बन गए हैं। विभिन्न जातियों की आबादी, आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है। इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है।

हालिया लोकसभा आमचुनाव (मई 2024) में इंडियन गठबंधन ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अन्य कारकों के अलावा, इस मुद्दे ने भी इंडिया गठबंधन के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में अपना योगदान दिया। हालांकि इस गठबंधन को सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिल सकीं. भाजपा के गठबंधन साथी नीतीश कुमार बिहार में पहले ही जाति जनगणना करवा चुके हैं, हालांकि इस मुद्दे को अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपने भाषण में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने काफी जोरदार और प्रभावी ढंग से जाति जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने 'हलवा' (सरकार से मिलने वाले लाभ) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने वाले मुख्यतः ऊंची जातियों के हैं और बजट के लाभार्थी केवल चंद उच्च वर्ग हैं।

राहुल गांधी के इस प्रभावी भाषण का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ('गोली मारो...' वाले) ने राहुल गांधी का मखौल उड़ाते हुए कहा कि जिसे उसकी खुद की जाति नहीं मालूम, वह जाति जनगणना की मांग कर रहा है। इस मामले में राहुल गांधी अनूठे व्यक्ति हैं - हिन्दू पिता, ईसाई मां, हिन्दू दादी और पारसी दादा। एक तरह से वे उस स्वतंत्र और खुले समाज के प्रतीक हैं, जो दकियानूसी तत्वों के अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक शादियों के विरोध के बावजूद देश में उभरता जा रहा है। ठाकुर की टिप्पणियों को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया मगर प्रधानमंत्री ने उनके भाषण को ट्वीट कर उसका अनुमोदन किया।

जाति जनगणना आवश्यक है। कारण यह कि आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण दशकों पहले किया गया था और तब से लेकर अब तक विभिन्न जातियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी में काफी परिवर्तन आ चुका है। अनुराग ठाकुर और नरेन्द्र मोदी जिस विचारधारा के हैं, वह विचारधारा सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाकर हाशियाकृत समुदायों को अन्य समुदायों के समकक्ष लाने के प्रयासों के खिलाफ है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाने मात्र से दलितों की सामाजिक समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि बेहतर आर्थिक स्थिति से सामाजिक स्थिति में भी बेहतरी आती है।

भारतीय समाज जाति व्यवस्था के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ है। इसके चलते जाति प्रथा के पीड़ितों को सामाजिक न्याय, सम्मान और गरिमा मिले, यह सुनिश्चित करवाना आसान नहीं है। दलितों को सम्मान और समानता दिलवाने का संघर्ष बहुत लम्बा और कठिन रहा है। इस दिशा में पहला प्रयास ज्योतिराव फुले ने किया था। उन्हें अहसास था कि जाति प्रथा, हिन्दू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है. चूँकि दलितों को पढने-लिखने नहीं दिया जाता था इसलिए फुले ने दलितों के लिए स्कूल खोले। जातिगत पदक्रम को बनाये रखने में लैंगिक असमानता की भी अहम भूमिका है। अतः सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। जातिगत व लैंगिक समानता की स्थापना के ये प्रयास करीब एक सदी पहले किये गए थे। अम्बेडकर ने इन वर्गों को और जागरूक किया। दलितों को समझ में आया कि जमींदार और पुरोहित की जोड़ी -जिसे महाराष्ट्र में शेठजी-भट्टजी कहा जाता है - उनकी सबसे बड़ी पीड़क है। इसी के चलते ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले इस आन्दोलन की राह आसान नहीं रही। उच्च जातियों के लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने के गांधीजी के प्रयासों से पहले ही परेशान थे। दलितों की समान अधिकारों की मांग ने उच्च जातियों को और विचलित कर दिया। उच्च जातियों के श्रेष्ठी वर्ग ने आरएसएस की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था हिन्दू राष्ट्र की स्थापना। हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना मनुस्मृति पर आधारित है। आरएसएस ने भारत के संविधान का इस आधार पर विरोध किया था कि उसमें भारत के 'स्वर्णिम अतीत' के मूल्यों को जगह नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है। जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें इसका लाभ दिलवाना सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। जहां इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग का खुल कर समर्थन कर रहा है वहीं एनडीए की मुख्य घटक दल भाजपा इस मांग की पूर्ति की राह में हर संभव रोड़ा अटकाएगी। इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन, सभाएं आदि कर इस मांग की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का असर धीरे-धीरे समाज पर पड़ने लगा। इसके साथ ही अफवाहें फैलाने का क्रम भी शुरू हो गया। आरक्षण से लाभान्वित होने वालों को 'सरकारी दामाद' कहा जाने लगा और यह तर्क दिया गया कि वे जिन पदों पर काबिज हैं, वे उनके योग्य नहीं हैं। यह भी कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था योग्य युवाओं की राह में रोड़ा है। ऊं ची जातियों के लोगों का गुस्सा सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया। माधवसिंह सोलंकी के केएचएएम या खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) गठबंधन की सफलता पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और स-1981 में गुजरात में दलित-विरोधी हिंसा भड़क गई। अध्येता अच्युत याग्निक लिखते हैं-'शिक्षित मध्यम वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, बनिया और पाटीदार शामिल हैं, ने 1981 में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया।'

सन1985 में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ एक बार फिर गुजरात में दलित-विरोधी हिंसा हुई। इसी समय, विश्व हिन्दू परिषद् ने राममंदिर आन्दोलन के बढ़ावा देना शुरू किया और लालकृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा शुरू की। वी.पी. सिंह, जिनकी सरकार एक ओर भाजपा तो दूसरी ओर वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही थी, ने अपनी गद्दी बचाने की खातिर मंडल आयोग की रपट को लागू कर दिया और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), जो आबादी का 55 प्रतिशत हैं, को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। ऊंची जातियां, मंडल आयोग के खिलाफ थीं। मगर चुनावी कारणों से भाजपा मंडल का सीधे विरोध नहीं कर सकती थी। उसने रथयात्रा को सफल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। इस यात्रा को मंडल-विरोधी उच्च जातियों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। मंडल का विरोध करने के लिए 'यूथ फॉर इक्वालिटी' जैसी संस्थाएं उभर आईं।

मंडल राजनीति से शरद यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता उभरे। भाजपा के शीर्ष नेता अटलबिहारी वाजपेयी ने कहा, 'वे मंडल लाए तो हम बदले में कमंडल लाए.' भाजपा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है और अपने इस विरोध को उसने मुस्लिम-विरोध का जामा पहनाया। एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गिया। भाजपा का उद्देश्य है जातिगत ऊंच-नीच को बनाये रखते हुए हिन्दुओं को एक करना। मंडल पार्टियां कई मामलों में सफल रहीं मगर उनमें से कुछ ने अपने संकीर्ण हितों की खातिर मनु की राजनीति से समझौता कर लिया। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं मगर अपनी दो भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान आम लोगों की स्थिति देखने के बाद राहुल गांधी, जाति जनगणना के प्रबल समर्थक बन गए हैं। विभिन्न जातियों की आबादी, आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है। इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है। जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं, उन्हें इसका लाभ दिलवाना सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। जहां इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग का खुल कर समर्थन कर रहा है वहीं एनडीए की मुख्य घटक दल भाजपा इस मांग की पूर्ति की राह में हर संभव रोड़ा अटकाएगी। इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन, सभाएं आदि कर इस मांग की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

घूँघट की बगावत

18 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

राजनीति, त्याग जनसेवा की जगह सत्तासुख भोगने का माध्यम बन गई

गांधी का ही विचार था, जो सम्रगता में भारतीय हितों की चिंता करता था। इसी परिप्रेक्ष्य में दीनदयाल उपध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार दिए जो संसाधनों के उपयोग से दूर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की चिंता करते हैं। कमोबेश इन्हीं भावनाओं के अनुरूप डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आकार दिया। इसीलिए जब हम 75 साल पीछे मुड़कर संवैधानिक उपलब्धियों पर नजर डालते हैं, तो संतोष होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ राष्ट्र-राज्य की व्यवस्थाएं जीवंत हैं। बीच-बीच में आपातकाल जैसी अतिरेक और अराजकता भी दिखाई देती है, लेकिन अंततः मजबूत संवैधानिक व्यवस्था के चलते लंबे समय तक ये स्थितियां गतिशील नहीं रह पातीं।

यही कारण है कि प्रजातंत्र, समता, न्याय और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ विधि का शासन अनवरत है। भारत की अखंडता एवं संप्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से सरदार पटेल जैसे लोगों ने कूटनीतिक कड़ाई से 600 से भी ज्यादा रियासतों का विलय कराया। हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर रियासतों का विलय हुआ। जमींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार हुए। सर्वोदयी नेता विनोबा भावे ने सामंतों की भूमि को गरीब और वंचितों में बांटने का उल्लेखनीय काम किया। पुर्तगाल और फ्रांस से भी भारतीय भूमि को मुक्त कराया। गोवा आजाद हुआ और सिक्किम का भारत में विलय हुआ। लेकिन लगता है कि संविधान की प्रस्तावना के उदात्त आदर्श और उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। गोया राजनीति त्याग, समता, अपरिग्रह और जनसेवा की भावना से प्रेरित होने की बजाय लाभकारी व्यवसाय, धनोपार्जन का माध्यम और सत्तासुख भोगने का साधन बनती जा रही है। भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया, जिसमें समस्त निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों और मंत्रियों के पवित्र उत्तरदायित्व की परिकल्पना है। साफ है, संविधान निमार्ताओं ने ऐसी संकल्पना कतई नहीं की थी, जिसमें मंत्रियों के दायित्व में आम आदमी और बुनियादी प्रश्न बहिष्कृत होते चले जाएं। अधिकार और कर्त्तव्य की यह ऐसी विडंबना है, जो लोकतंत्र की बढ़ती उम्र के साथ जटिल होती जा रही है। इसी तात्कालिक लाभ की दृष्टि के चलते नेताओं की दलों के प्रति निष्ठा भंग हुई है। लिहाजा, चुनावी मौसम में दलबदलुओं के टिड्डी दल दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण संसद और विधानसभाएं दलबदल और अस्थायी बहुमत का दंश झेलने को बाध्य हो रही हैं।

केंद्रीय मुद्रा का भी इनमें चलन था लेकिन भक्ति, अतिरिक्त उदारता, सहिष्णुता, विदेशियों को शरण, वचनबद्धता जैसे भाव और आचरण कुछ ऐसे उदात्त गुणों वाले दोष रहे जिनकी वजह से भारत विरोधाभासों, विडंबनाओं और चुनौतियों के ऐसे देश में बदलता चला गया कि राजनीति का एक पक्ष समस्याओं को यथास्थिति में रखने की पुरजोर पैरवी करने लग गया था। नतीजतन, देश का पतन हुआ। कई सामंतों ने अपने पड़ोसी सामंत को ध्वस्त करने की दृष्टि से इस्लाम धर्मावलंबी आक्रांताओं को भी बुलाने में संकोच नहीं किया। कुछ ऐसे ही हालात हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देख रहे हैं। विपक्ष संविधान पर संकट बता कर थोड़ा ताकतवर क्या हुआ कि हर उस बुराई को संरक्षण देने में लग गया जो देश को संकट में डालने वाली है। संसद में जो हालात देखने में आ रहे हैं, यदि यही बने रहे तो देश की अखंडता को भी हानि हो सकती है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के संदर्भ में जो राष्ट्रीय नागरिकता पत्रक की सूची आई है, उसमें यही देखने में आ रहा है। विपक्षी दलों के ऐसे स्थायी भाव के चलते चुनौतियों से निपटना और आजादी के बाद अनुत्तरित रह गए प्रश्नों के सार्थक हल खोजना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि घुसपैठिए भारतीय मूल के लोगों के संसाधन और प्राकृतिक संपदा हड़पते जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को इस नाते बड़ी उम्मीद से अस्तित्व में लाया गया था, लेकिन उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में अनुच्छेद-370 और 35-ए खत्म करने के बाद कश्मीर का बहुलतावादी चरित्र बहाल करने की उल्लेखनीय कोशिश की गई है। इससे अलगाववाद- आतंकवाद नियंत्रित हुए हैं और कश्मीर में पर्यटन से रोजगार-धंधे के उपाय बढ़े हैं लेकिन विपक्ष और लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़े रहने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेता इस पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं। कांग्रेस और विपक्ष अलगाववादियों की इस भाषा पर अक्सर मौन दिखाई देता है। विपक्ष कश्मीर के उन विस्थापित पांच लाख लोगों के पुनर्वास पर भी मुंह बंद रखता है, जो 35 साल से शिविरों में दरिद्रता का जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे में इस लोकतंत्र की संप्रभुता कैसे और कब तक अखंडित रह पाएगी जबकि देश की अखंडता और जनसांख्यकीय घनत्व को संतुलित बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता कानून अनिवार्य रूप से लागू किया जाना जरूरी है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 'जनक' बाल गंगाधर तिलक

एक अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। वह भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और लोकप्रिय नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने 'लोकमान्य' की उपाधि अर्जित की थी। सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने ही पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थीं। जिस कारण तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही आदर्श था और वह सिर्फ लोकप्रिय नेता ही नहीं बल्कि संस्कृत, हिंदू धर्म, भारतीय इतिहास, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्धान भी थे।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 13 जुलाई 1856 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था और वह संस्कृत के विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे। तिलक की माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। साल 1871 में तिलक का विवाह तपिबाई नाम की कन्या से हुआ था। शादी के बाद तपिबाई को सत्यभामा हो गया था। तिलक बचपन से ही पढ़ाई में निपुण और थे।

बता दें कि 16 साल की उम्र में मां का निधन और फिर पिता के निधन के बाद उनके संघर्षपूर्ण करियर की शुरूआत हुई। साल 1877 में तिलक ने पुणे के डेक्कन कॉलेज से संस्कृत और गणित विषय की डिग्री हासिल की। फिर मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी पास किया। पहली पीढ़ी के भारतीय युवाओं में तिलक को आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जा सकता है।

शिक्षा पूरी करने के बाद वह पुणे के एक स्कूल में गणित और अंग्रेजी के शिक्षक बन गए। लेकिन अन्य शिक्षकों से मतभेद के चलते उन्होंने साल 1880 में पढ़ाना छोड़ दिया। दरअसल, बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के आलोचक थे। उस दौरान स्कूलों में ब्रिटिश विद्यार्थियों की तुलना में भारतीय विद्यार्थियों के साथ दोगला व्यवहार होता था। जिसका तिलक विरोध करते थे। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत के खिलाफ भी आवाज उठाई थी।

बाल गंगाधर तिलक ने दक्खन शिक्षा सोसायटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा में मराठा दर्पण और केसरी नामक दो अखबार शुरू किए थे। जो उस दौर में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। तिलक ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को पूर्ण स्वराज देने की मांग की थी। न्यूज पेपर में छपने वाले लेखों के कारण तिलक को कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। तिलक को उनके प्रयासों के कारण उन्हें 'लोकमान्य' की उपाधि मिली थी। बता दें कि 01 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।

भारत के बाहर अगदान की बहुत अच्छी परम्परा

एक पौराणिक संदर्भ है कि ऋषि दधीचि और महाराज शिवि ने किसी की जान बचाने और समाज की भलाई के लिए अपना शरीर दान दे दिया था। इसी तरह के तमाम और भी संदर्भ या मिथक हिन्दू पुराणों में वर्णित हैं जहां जीवित रहते शरीर दान देना सबसे बड़ा दान बताया गया है। पौराणिक मिथकों या पौराणिक संदर्भों दोनों को समझने की जरूरत है। खासकर हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि की मान्यताओं को मानने वाले लोगों को क्योंकि इसमें वर्णन किये गये संदर्भ आध्यात्मिक और रहस्यमय हैं। आम आदमी साधारण ढंग से इनका मतलब नहीं समझ पाता है। इसलिए अंग दान देने के संदर्भों का सही मतलब एवं रहस्य जान कर ही मानना चाहिए। अंगदान के मामले में प्रचलित ऐसे मिथक अंधविश्वास और अंध आस्थाएं दुनिया के तमाम हिससों में भी प्रचलित हैं जिनका नकारात्मक असर समाज में लगातार बना रहता है। अंगदान किसी इंसान को नया जीवनदेना जैसा ही है। नेत्रहीनो को नेत्र देने वाले लोग उन व्यक्तियों के जीवन में उजियारा फैलाने का कार्य करते हैं। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो नेत्र न होने के कारण नेत्र पाने के इंतजार में हैं।

सरकारी आंकड़े बयान करते हैं कि हर साल पांच लाख लोगों की मौत अंगों की अनुपलब्धता की वजह से हो जाती हे, जिसमें ऐसे दो लाख व्यक्तियों की मृत्यु हृदयगति बी बीमारी के कारण पचास हजार व्यक्तियों की तौत लीवर न मिलने के कारण हर साल एक लाख व्यक्तियों की तौत गुर्दा न मिलने की वजह से हो जाती है।

भारत में परोपकार की बहुत पुरानी परंपरा रही है। महाराज शिवि, दधीचि, और तमाम देवता कहे जाने वाले व्यक्तियों ने दूसरों को जीवन देने के लिए अपना जीवनदान कर दिया। दुनिया में आज स्वार्थवादी विचारों के लोगों की भरमार हे। ऐसे लोग अपनी जिन्दगी को ही महत्व देते हैं जिनको अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती हुआ करती है। मानवता के लिए समर्पित यह दिवस कई नजरिये से बेहद अहम है कि यह एक ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प है। जहां अंगदान के माध्यम से जीवन का उपहार सार्वभौतिक रूप से बिना किसी स्वार्थ के धर्म, मजहब, जाति या क्षेत्र से ऊपर उठकर दिया जाता है। किसी को जीवनदान का संकल्प इंसानियत का वह खूबसूरत विचार है जिसकी तस्वीर बेहद सुन्दर है, जो धरती को स्वर्ग बनाने और दु:खों से छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। आमतौर पर मौत के बाद उनका क्या होगा ?इसे लेकर करोड़ों लोग बिना समाज को कुछ दिये ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों की जिन्दगी बेहद खुबसूरत तब बन जाती है जब वह जीतेजी अपने शरीर या शरीर के किसी अंग को दान करने का संकल्प कर लेते है। अंगदान का संकल्प उस व्यक्ति के लिए मानवता का ऐसा बेहतर उपहार होता है जो यह नहीं मानता कि यह ईश्वरीय नियम-विरुद्ध है। गौरतलब है ऐसे तमाम लोग हैं जो इसे धार्मिक आस्था का विषय मानते हैं । ऐसे लोगों की आस्था महज सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होती है। यदि किसी अंग का दान किया तो अगले जन्म में भगवान उन्हें उस अंग से महरूम करके भेजेगा। अंगदान को पाप मानने का मामला भी इसी तरह का है। इसके पीछे न कोई वेद शास्त्रीय प्रमाण है, वैज्ञानिक

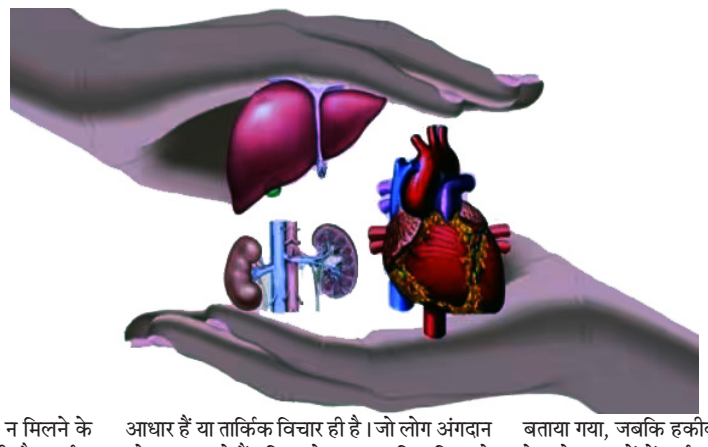

आधार हैं या तार्किक विचार ही है। जो लोग अंगदान को पाप समझते हैं यदि उनसे पूछा जाए कि यदि उनसे पूछा जाए कि उनकी आस्था या विश्वास का आधार क्या हे इसे पाप कै से लगता है, तब वे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं।

भारत सरकार ने 2011 में 'मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम' पारित किया जिसमें मानव अंगदान के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए प्रावधान किए गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्वाभाविक मौत की हालत में कार्निया, हृदय, वाल्व, त्वचा, हड्डी जैसे ऊतक दान किया जा सकता है। भारत में कार्निया दान की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन मस्तिष्क मौत के बाद किये जाने वाले देहदान की गति बहुत धीमी है। विश्व स्तर पर हर साल लाखों की तादाद में नए गुर्दे, दिल, फेफडे, अग्न्याशय, छोटी आंत, ऊतक, आंख, यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों का दान अपने रिश्तेदारों और अस्पतालों में किसी निःस्वार्थ भाव से अंगदान करने वाले लोग करते हैं, लेकिन अंगों की कमी बहुत बड़े पैमाने पर बनी रहती है। भारत में यह कमी अत्यंत चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर साल मांग को पूरा करने में एक लाख 75 हजार किडनी, पचास हजार लीवर, फेफड़े दिल, ढाई हजार अग्न्याशय की जरूरत बनी रहती है। इससे समझा जा सकता है कि अंगदान के लिए समाज में जागरूकता कितनी कम है7 भारत में जो शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में अंदान करने की आदत या स्थिर विचापर बेहद कम है। केन्द्र और राज्य सरकारें जो आगरूकता अभियान इस बाबत चलाती रही हैं वे लोगों को प्रभावित करने में बहुत कम असरदायक रहे हैं। यदि हम इंगदान को इंसान का सबसे पवित्र कर्तव्य माने तो इसके प्रति हममें पल रही तमाम तरह की गलत सोच को बदलने में सहूलियत होगी, क्योंकि अंगदान धर्म, जाति, क्षेत्र, देश उम्र और वर्ण से हटकर किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी अंग दुनिया के किसी भी जगह दान कर सकता है। भारत में अंगदान करने की परम्परा अत्यन्त गौरवमयी है लेकिन आम आदमी में इसके प्रति सोच अभी विकसित नहीं हुई है। लेकिन भारत के बार अंगदान की बहुत अच्छी परंपरा है। लेकिन देश में अंगदान को धर्म के विरुद्ध बताया गया, जबकि हकीकत यह है कि जीवन दान देना वेद शास्त्रों में धर्म का सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया गया है। अंगदान को जीवन दान का ही हिस्सा है। फिर यह धर्म के विरुद्ध कैसे हो गया? ' क्या ईश्वर अपने किसी संतान को बेहतर स्थिति में नहीं देखना चाहता ?सेवा को मानवता का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, उसे यदि हम किसी को जीवन देने के लिए समर्पित कर दें तो मानवता के लिए इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। जिन्दी रहते या जिन्दगी खत्म होने के बाद हम दूसरों के लिए नया जीवन अंगदान देकर मानवता की क्या सेवा कर सकते हैं?

इस पर उसी तरह से सोचना चाहिए जैसे हमें कोई हमारे सबसे कठिन वक्त में हमारे काम आता है और इसे अपना फर्ज बताकर कोइ अहसान जताए आगे बढ़ जाता है। हमारी जिन्दगी भी इसी तरह यदि खूबसूरत बिना किसी को अहसान जताए काम आ जाये तो इससे अच्छा जिन्दगी का मकसद क्या कोई हो सकता है ? इस पर विचार करेंगे त3ो आभी भी अंदान करने का संकल्प लेगे ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

ब्रिटिश काल से ही इस्लामिक कट्टरपंथ की चपेट में रहा है बांग्लादेश

बांग्लादेशी सेना प्रमुख के द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना से त्याग—पत्र लेने और उन्हें 45 मिनट के भीतर देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने के बाद वहां की परिस्थितियां जितनी तेजी से बदली हैं, उससे दुनिया भर में आश्चर्य का माहौल बना हुआ है। विशेष रूप से उक्त घटना के बाद से मुस्लिम देशों के शासकों के पसीने यह सोचकर छूटने लगे हैं कि न मालूम अगला नंबर किसका लगने वाला है... कहीं उनके देश में भी तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा... कहीं उनकी सत्ता का सिंहासन भी तो उनसे नहीं छिन जाएगा। वहीं, दूसरी ओर लोकतंत्र के हिमायतियों और लोकतांत्रिक देशों के शासकों को आश्चर्य हो रहा है कि हाल तक एक समावेशी लोकतांत्रिक देश प्रतीत होने वाला बांग्लादेश अचानक इस कदर इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना कैसे बन गया। तमाम घटनाओं को उनकी संपूर्णता में स्वीकार कर उन पर गहराई से विचार करने से मालूम होता है कि वास्तव में बांग्लादेश अचानक इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना नहीं बन गया, बल्कि सन- 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से ही वहां पर लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी, आतंकवादी एवं अन्य उग्रवादी समूहों और संगठनों ने अपनी शक्ति और आकार बढ़ाने का कार्य किया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह कि उन्होंने अपना यह अभियान चोरी—छुपे नहीं चलाया, बल्कि वे हमेशा से मुखर रहे हैं।

गौरतलब है कि इन तमाम इस्लामिक कट्टरपंथी एवं आतंकवादी समूहों और संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अपना खुला समर्थन और सहयोग प्रदान करती रही है। बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथी एवं आतंकवादी समूहों और संगठनों तथा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएस-ाआइ का यह गंठजोड़ इतना घातक है कि इसने बांग्लादेश की धरती पर मानवता को तार—तार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। इसी घातक समीकरण की दो प्रमुख कड़ियां जमात—उल—मुजाहिदीन एवं जमात—ए—इस्लामी नामक कट्टरता फैलाने वाले संगठन हैं। बता दें कि ये दोनों संगठन हमेशा से ही बांग्लादेश के मूल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक ढांचे के विरूद्ध कार्य करते रहे हैं। दरअसल, इन संगठनों का लोकतांत्रिक पद्धति और शासन से कभी कुछ भी लेना—देना नहीं रहा है। ये तो बांग्लादेश का पूर्ण इस्लामीकरण करने के उद्देश्य से वहां पर लोकतंत्र तथा देश के समावेशी विकास के आधारस्वरूप सामाजिक ताने—बाने को ध्वस्त करने के प्रयास हमेशा से करते रहे हैं। ये वही इस्लामिक रैडिकल संगठन हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को रैडिकलाइज कर उसकी 'अनेकता में एकता' की जड़ें खोदने का कार्य करते रहे हैं। इनमें 'जमात—उल—मुजाहिदीन, बांग्लादेश' (जेएमबी) एक सक्रिय स्वदेशी आतंकवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश को एक इस्लामी राज्य बनाना और वहां शरिया के आधार पर चलने वाली सरकार का गठन करना रहा है।

बता दें कि अप्रैल 1998 में ढाका प्रभाग के जमालपुर में अब्दुर रहमान द्वारा इसको स्थापित किया गया था और इसकी आतंकी गतिविधियों के लिए पहली बार 2001 में बांग्लादेश में इसकी पहचान स-ार्वजनिक हुई थी। हालांकि गठन के बाद से ही इस आतंकवादी संगठन ने देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में आर्तकियों की भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षण देने, धन जुटाने और अपने सदस्यों को संगठित करने का कार्य आरंभ कर दिया था। गौरतलब है कि 2005 में पूरे बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन यह संगठन अब तक काफी शक्तिशाली हो चुका था। इसलिए इसने सरकारी प्रतिबंध को धत्ता बताते हुए हार मानकर चुप बैठने के बजाए पलटवार किया और बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की मांग को लेकर तत्कालीन बांग्लादेश के कुल 64 में से 63 जिलों में बम विस्फोट कराकर दहशत फैला दी थी। बांग्लादेश के इतिहास में जहरीले आतंकवाद के काले अध्याय की शुरूआत का वह दिन 17 अगस्त 2005 का था, जब 'जमात—उल—मुजाहिदीन, बांग्लादेश' ने पूरे बांग्लादेश में 300 स्थानों पर 500 बम विस्फोट किए थे। हालांकि उसके बाद शेख हसीना सरकार की सख्ती के कारण यह संगठन कमजोर होता गया, किंतु 2016 में एक बार पुनरू इस आतंकवादी संगठन के गुर्गे संगठित हुए।

इस बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बांग्लादेश में पंथनिरपेक्षतावादियों पर आक्रमण किए। उस दौरान उत्तरी बांग्लादेश में इसके गूर्गों ने कई स-ार्वजनिक हत्याएं भी कीं। इसी प्रकार 'जमात—ए—इस्लामी' इस्लामिक कट्टरता फैलाने वाला बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है, जिसका गठन इस्लामिक विचारक सैयद अबुल अला मौदूदी ने ब्रिटिश भारत के दौरान ही सन- 1941 में की थी। गठन के समय यह एक सामाजिक संगठन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम जनता को रैडिकलाइज कर एकीकृत इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था, लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया, जब सन-1947 में भारत का विभाजन हुआ। बता दें कि विभाजन ने न केवल दो राष्ट्रों को, बल्कि भिन्न विचारधाराओं पर आधारित भारत और पाकिस्तान दो पृथक राज्यों को भी जन्म दिया। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र बना, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक और बड़ी संख्या में मुस्लिम तथा जैन, बौद्ध, पारसी, सिक्ख, इसाई आदि कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य बना। जाहिर है कि विभाजन के बाद मौदूदी पाकिस्तान चले गए और वहां पर अपना एजेंडा चलाने लगे। फिर 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश स्वतंत्र होकर एक अलग राष्ट्र बना, तब जमात ए—इस्लामी पार्टी भी दो फाड़ हो गई। इसका एक हिस्सा पाकिस्तान में रहा और दूसरा यानी पूर्वी धड़ा बांग्लादेश में फलने—फूलन लगा।

फिलहाल, जमात—ए—इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है, जो हमेशा से बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों के विरोध में रही है। जमात—ए—इस्लामी वही संगठन है, जिसने 1971 के 'बांग्लादेश मुक्ति संग्राम' में बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों के विरूद्ध पाकिस्तानी सेना को अपना समर्थन और सहयोग दिया था। यह वही पार्टी है, जिस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमले और अत्याचार करने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। यहां तक कि वर्ष 2010 में 'अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल' ने जमात—ए—इस्लामी पार्टी के आठ नेताओं को 1971 युद्ध के अपराध का दोषी बताकर सजा सुनाई थी। वहीं, भारत में अयोध्या स्थित बाबरी विवादास्पद ढांचे के विध्वंस कर दिए जाने के बाद इस पार्टी के नेताओं और छात्र संगठन पर बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी दंगे भड़काने तथा हिंदुओं को जान—माल की क्षति पहुंचाने और हिंदू मंदिरों आदि में तोड़—फोड़ एवं लूटपाट करने के भी आरोप लगते रहे हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादियों एवं आइएसआइ की शह, समर्थन और सहयोग के बल पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन अवसर मिलते ही जी—भर उपद्रव करते... उत्पात मचाते और हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता की हद तक हिंसक कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते भर में उनकी दाल नहीं गल पाती थी, क्योंकि वह यथासंभव उन्हें रोकने, नियंत्रित करने और कमजोर करने के प्रयास करती रहती थीं। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री तथा साम्राज्यवादी देश चीन और आतंक परस्त देश पाकिस्तान की हमदर्द एवं शेख हसीना की दुश्मन नंबर एक मानी जाने वाली और बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' की अध्यक्ष खालिदा जिया के शासन काल में बांग्लादेश के तमाम कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों को खूब प्रश्रय मिलता रहा है। दरअसल, ये तमाम कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन खालिदा जिया के लिए एक 'राजनीतिक टूल किट' की तरह कार्य करते रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो एक तरफ बांग्लादेश में 'नकारात्मक राजनीति की बेगम' खालिदा जिया हैं, जिन्हें तमाम कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों का समर्थन और सहयोग प्राप्त है, तो दूसरी ओर 'सकारात्मक राजनीति की बेगम' शेख हसीना हैं, जिन्हें तमाम बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों का साथ और सहयोग तो प्राप्त है ही, वहां की एक करोड़ से भी अधिक की हिंदू आबादी सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो बांग्लादेश को एक खूबसूरत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखना चाहते हैं, शेख हसीना के समर्थन में हमेशा ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए तैयार रहते हैं।

गुलाम भारतीयों ने शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग

अपने ही देश में गुलाम की तरह रह रहें भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 1857 की क्र-ांति के बाद लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों से आंदोलन होते रहे और अंत में 1947 को भारत आजाद हो गया। स्वतंत्र भारत और एक लोकतांत्रिक देश बनने का सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कई नेताओं, क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान था। जब भी आजाद भारत की बात होती है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्र शेखर आजाद, भगत सिंह समेत कई नरम व गरम दल के नेताओं का जिक्र होता है।

आजादी की कहानियां तो बहुत सुनी होगी। स्कूली किताबों से लेकर बड़े पर्दे पर फिल्मों के माध्यम से आजादी से पहले की स्थिति और बाद की चुनौतियां दशार्यी गईं। लेकिन यहां कुछ ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें दी जा रही हैं, जो उस दौर की साक्षी है। सात तस्वीरों से आजादी के दौर का माहौल, नेताओं की सहभागिता और विकास के मार्ग पर किए जाने वाले प्रयासों के बारे में समझिए।

स्वतंत्रता दिवस से पहले हुए दंगों में तबाह हुए घरों का अवलोकन करते महात्मा गांधी

इस तस्वीर को बिहार स्टेट आर्काइव से लिया गया है। जब भारत की आजादी से कुछ माह पहले मार्च 1947 को मसौढ़ी में हुए दंगों में लोगों के घर तबाह हो गए थे। तब महात्मा गांधी अपने कुछ करीबियों और कांग्रेस नेताओं के साथ क्षेत्र का अवलोकन करने पहुंचे थे।

गांधी जी के लिए वायलिन बजाते कैप्टन रामचरण सिंह

देशभक्ति गीत 'कदम कमद बढ़ाए जा' को कैप्टन रामचरण सिंह ने कंपोज किया था। 1945 में महात्मा गांधी समेत कई भारतीय नेता जिसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू देश के सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जा रहे थे इस दौरान गांधी जी हरिजन कॉलोनी पहुंचे, जहां कैप्टन राम सिंह ने गांधी जी के समक्ष वायलिन के माध्यम से गाना प्ले किया। इस तस्वीर को भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली से प्राप्त किया गया है।

भारतीय नेता विभाजन पर चर्चा करते

इस तस्वीर में सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना नजर आ रहे हैं। तस्व-ीर आजादी से पहले भारत पाकिस्तान विभाजन पर चर्चा करते नेताओं की है। इस मीटिंग में नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया है।

नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह तस्वीर गांधी ग्राउंड की है, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्रता सप्ताह के उद्घाटन के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीर में उनके साथ अन्य कांग्रेस नेता भी हैं।

भारतीय संविधान निर्माण में शामिल महिलाएं

भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित कमिटी का नेतृत्व डा. भीमराव आंबेडकर ने किया। हालांकि इस कमिटी ने शामिल सदस्यों में महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान निर्माण में शामिल महिला सदस्यों की यह तस्वीर है, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैकलारेन, बेगम एजाज रसूल, दुगार्बाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुजेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, दक्षायनी वेलायुधन, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे का नाम शामिल है।

भारतीय संविधान में हस्ताक्षर करते पंडित जवाहर लाल नेहरू

भारत की आजादी के साथ ही देश को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ये तस्वीर उस वक्त की है जब भारतीय संविधान पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू हस्ताक्षर कर रहे हैं।

भारत विभाजन के प्रस्ताव की चर्चा पर गांधी पर भड़के जवाहर लाल नेहरू

लखनऊ: ये कहानी 76 साल पहले की है। सदियों की गुलामी के बाद देश आजाद हो रहा था। अपने देश पर अपने जन के शासन का स्वप्न साकार होने वाला था लेकिन आजादी की इस निर्मल और पावन खुशी में बंटवारे का दाग भी लगना था। धर्म के आधार पर देश के बंटवारे को लेकर देश के शीर्ष नेताओं में माथापच्ची चल रही थी। कुछ लोगों ने मान लिया था कि बंटवारा होकर ही रहेगा और कुछ लोग अभी भी इस संभावना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आखिरकार वह तारीख 14 अगस्त 1947 की आ ही गई, जब देश दो हिस्सों में बंट गया। दो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ- भारत और पाकिस्तान। विस्थापन और हिंसा की भयानक आग में स्वतंत्रता की दीपावली निस्तेज होकर रह गई। आजादी के 7 दशक के बाद आज भी इस सवाल पर अंतहीन बहस हो सकती है कि भारत के विभाजन के गुनहगार कौन लोग थे? क्या इसके लिए तत्कालीन परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, व्यक्ति विशेष जिम्मेदार था, समुदाय-राजनैतिक पार्टी या फिर अंग्रेज... आखिर किसे मानव इतिहास की इस सबसे बड़ी विभीषिका का जिम्मेदार कहा जा सकता है?

लोहिया की किताब में चर्चा

भारत में समाजवादी राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब भारत विभाजन के गुनहगार में बंटवारे के लिए 8 कारण बताए हैं। लोहिया ने भारत की आजादी और उसके बाद बंटवारे के घटनाक्रम को अपने युवा मन के साथ बेहद करीब से देखा था। अपनी किताब में उन्होंने बताया है कि भारत विभाजन के प्रमुख रूप से 8 बड़े कारण थे। इनमें पहला था -ब्रितानी कपट। दूसरा कांग्रेस नेतृत्व का उतार फिर हिंदू-मुस्लिम दंगों की प्रत्यक्ष परिस्थिति फिर जनता में दृढ़ता और सामर्थ्य का अभाव फिर गांधी जी की अहिंसा, मुस्लिम लीग की फूटनीति, आए हुए अवसरों से लाभ उठा सकने की असमर्थता और अंत में हिंदू अहंकार। लोहिया विभाजन के दौर को तटस्थ होकर नहीं देख रहे थे बल्कि वह उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जो दो देशों का मुस्तकबिल तय करने का आधार था। अपनी किताब में लोहिया ने बताया है कि वह कांग्रेस की कार्यसमिति की उस बैठक में भी शामिल रहे, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से पेश किए गए विभाजन के प्रस्ताव पर चर्चा की जानी थी। लोहिया कहते हैं कि इस मीटिंग में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल थे। समाजवादियों की ओर से उन्हें तथा जय प्रकाश नारायण को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था।

सिर्फ 4 लोग खिलाफ बोले

उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में वह यानी कि लोहिया, जय प्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां के अलावा किसी ने भी विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में नहीं बोला। उस मीटिंग में इन चारों लोगों का विरोध भी उस कदर प्रभावी नहीं था, जिससे इतिहास को एक निर्णायक मोड़ देने वाली इस घटना को होने से रोका जा सके। गांधीजी का कांग्रेस में निर्णायक प्रभाव काफी कम हो चुका था। गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी आजादी की उल्टी गिनती वाले दौर को गांधी जी के लिए रिजेक्टेड यानी कि खारिज की संज्ञा देते हैं। गांधी जी विभाजन के सख्त विरोधी थे लेकिन कई बार उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उस समय तक कांग्रेस में उनका प्रभाव इतना नहीं बचा रह गया था कि वह अपने इस विरोध से विभाजन के फैसले में कोई ठोस बदलाव ला सकें।

महात्मा गांधी के अलावा लोहिया और जय प्रकाश नारायण की भी उस मीटिंग में ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह प्रस्ताव का विरोध करें और वह कोई खास प्रभाव डाल पाए। खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सरहदी गांधी से उम्मीद की जा सकती थी लेकिन लोहिया के मुताबिक, उस मीटिंग में सरहदी गांधी भी विभाजन के विरोध में सिर्फ दो वाक्य बोले। पहले वाक्य में उन्होंने अपने सहयोगियों के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार लेने के फैसले पर दुख जताया। दूसरे वाक्य में उन्होंने समिति से उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के भारत या पाकिस्तान से से निरपेक्ष स्वतंत्र होने की गुंजाइश के बारे में जानने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं बोला।

लोहिया का चौंकाने वाला दावा

हालांकि, इन सबमें लोहिया का यह दावा काफी चौंकाने वाला है कि जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन के प्रस्ताव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां गांधीजी तक नहीं पहुंचाई। इस मीटिंग में गांधी जी की शिकायत का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है-श्मैं खासकर चाहूंगा इन दो बातों की चर्चा करूं जिन्हें उस बैठक में गांधीजी ने कहा था हल्की शिकायत की मुद्रा में कि श्री नेहरू और सरदार पटेल ने उसकी सूचना नहीं दी और इसके पहले कि गांधीजी अपनी बात पूरी कह पाते श्री नेहरू ने तनिक आवेश में आकर बीच में उन्हें टोका और कहा कि उनको वे पूरी जानकारी बराबर देते रहे हैं। महात्मा गांधी के दोबारा दोहराने पर कि उन्हें विभाजन की योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, श्री नेहरू ने अपनी पहले कही बात को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि नोआखाली इतनी दूर है कि वे इस योजना के बारे में विस्तार से न बता सके होंगे। उन्होंने गांधीजी को विभाजन के बारे में मोटे तौर पर लिखा था।'

लोहिया लिखते हैं कि इस बैठक में नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी के प्रति आक्रामक रोष दिखाते रहे। उन्होंने यह भी लिखा कि उस समय जो बात सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगी और आज भी लगती है, वह थी अपने अधिष्ठाता के प्रति उसके दो प्रमुख चेलों के अत्यधिक अशिष्ट व्यवहार की। इस बात में कुछ मनो-विकार था। ऐसा लगता था कि वे किसी चीज पर ललचा गए थे और जब उन्हें लगा कि गांधी जी उनके लिए रुकावट बन रहे थे तो वे चिढ़कर जोरों से भौंकने लगे।

मौलाना की किताब में भी जिक्र

'इंडिया विन्स फ्रीडम' नाम की अपनी किताब में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी यह इशारा किया है कि जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल 1942 से ही विभाजन को लेकर मन बनाने लगे थे। इसे लेकर लोहिया कहते हैं कि कांग्रेस के नेता थकने लगे थे और उन्हें लगता था कि अपनी जिंदगी में वे सत्ता का सुख नहीं उठा सकते। हालांकि, गांधी जी बार-बार विभाजन का विरोध करते रहे। उन्होंने 31 मई 1947 की शाम की अपनी प्रार्थना सभा में भी खुले तौर पर विभाजन का विरोध किया था।

हमें आशंकाओं के सौदागरों से भी सचेष्ट रहना होगा।

बांग्लादेश पाकिस्तान की कोख से जन्मा था। पाकिस्तान खुद चिर अस्थिरता का शिकार है। वहां सेना और कट्टरपंथियों की जुगलबंदी कहर ढा रही है। इस संबंध में काफी कुछ कहा-लिखा जा चुका है, इसलिए अगले पड़ोसी नेपाल की ओर बढ़ते हैं। तथाकथित क्रांति के बाद वहां वर्ष 2008 में राजशाही की जगह लोकशाही ने जरूर ले ली, पर सरकारों में स्थायित्व का चलन यहां भी नहीं देखने को मिलता । पिछले ही महीने वहां पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' को हटाकर केपी शर्मा 'ओली' पुनः प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। कभी राजशाही से हुई जंग में ये दोनों कॉमरेड जंग की जुगलबंदी किया करते थे। बगल के म्यांमार में जुंटा (फौज) की हुकूमत है और श्रीलंका भी कुछ माह पूर्व बांग्लादेश जैसे हालात से गुजरा है। रह बचा मालदीव, तो वहां राष्ट्रपति मुइज्जू चुने तो विधिवत गए हैं, पर लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका भरोसा नहीं। ऐसा होता, तो वह अपने ही दो मंत्रियों को 'काला जादू' के आरोप में जेल न भेज देते। तय है, दक्षिण एशिया में अकेला भारत लोकतंत्र का स्थायी लाइट हाउस साबित हुआ है। हम लड़खड़ाते हैं, फिर भी बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां अस्थिरता के दौर नहीं आए। गुजरे साढ़े सात स्वतंत्र दशकों में से लगभग 30 साल गठबंधन सरकारें रहीं। इनमें से चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंदर कुमार गुजराल और एचडी देवेगौड़ा की सरकारें लंबी न थीं, पर आयाराम-गयाराम के इस दौर में भी भारतीय अपने विश्वास से नहीं डिगे। यह सुकून की बात है। क्या इतना काफी है? यकीनन नहीं ।

आज से चार दिन बाद हिन्दुस्तान अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। कहते हैं, हर भद्र इंसान को अपने जन्मदिन की खुशी मनाते हुए अपनी पिछली जिंदगी पर भरपूर नजर जरूर डालनी चाहिए। गुजरे वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया? क्या भूलें कीं और उनके सुधार का जरिया क्या है? इस 15 अगस्त आप इस सिलसिले में एक हिन्दुस्तानी के नाते क्या सोचेंगे?

अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। ऐसा लगेगा, जैसे आग लगी हुई है। बांग्लादेश इस सिलसिले की ताजातरीन कड़ी है। वहां खूरेंजी का डरावना सिलसिला जारी है। बेकाबू हिंसा में अब तक 450 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहां हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को एक बार फिर जलावतनी पर मजबूर होना पड़ा। अब संगीनों के साये में जन्मी अंतरिम सरकार हालात पर काबू पाने की कोशिश में है। आज जो लोग शेख हसीना को तानाशाह और बददिमाग करार दे रहे हैं, वे कभी उनके लिए पलक-पांवड़े बिछाए बैठे थे। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि 1971 में आजाद होने के चार साल के भीतर राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की उनके आवास में हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना उस रात देश से बाहर न होतीं, तो वह भी मारी जातीं। बाद में भले ही वहां कोई पदेन राष्ट्राध्यक्ष नहीं मारा गया, पर दुर्भाग्यजनक हालात में कई बार तख्तापलट अवश्य हुआ। खुद शेख हसीना 2008 के जानलेवा प्रदर्शनों के बाद सत्ता में लौटी थीं।

बांग्लादेश अपने पितृदेश पाकिस्तान जितना बदनसीब भले न हो, पर आदि देश भारत की तरह खुशनसीब भी नहीं है। बांग्लादेश में 2009 से अगले पंद्रह वर्ष अब निखालिस शेख हसीना वाजेद के थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को अवश्य धार दी, लेकिन इस बार वह जम्हूरियत की नकाब में तानाशाह थीं। यह नकाब वक्त के साथ उतरती गई और पिछली जून के चुनाव वह सिर्फ दमन के

जरिये जीती थीं। इन चुनावों की जमकर जगहंसाई हुई थी। भला विपक्ष को जंजीरों में बांधकर कराए गए चुनाव को कैसे निष्पक्ष कहा जा सकता है? भावुक बंगालियों को उनसे यह उम्मीद न थी । वे सड़कों पर उतर आए और हसीना को दर-बदर होने पर मजबूर कर दिया। अब अराजकतावादियों की बन आई है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को घेरकर प्रधान न्यायाधीश ओबैदुल हसन को इस्तीफे के लिए बाध्य किया गया, वह भयावह है।

वहां जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वह भारत के लिए चिंताजनक है। मुझे यहां एक ऐसे अधिकारी की बात याद आ रही है, जिसने वर्ष 2022 में निजी बातचीत में दावा किया था कि दस वर्षों से कम वक्त में यह देश अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा। हिंसा के मौजूदा दौर में जिस तरह 38 जिलों में हिंदुओं को बेइज्जत किया गया, मंदिर तोड़े गए, उससे इस आशंका को बल मिलता है।

स्वतंत्रता दिवस के उल्लास की ओर बढ़ते हुए सोचना ही होगा कि हम अनावश्यक वैचारिक उद्वेलनों के शिकार क्यों हो रहे हैं? बांग्लादेश में हादसों की शुरूआत के साथ ही सोशल मीडिया पर कुकुरमुत्ते की तरह उमड़ पड़े विचारकों ने भारत के बारे में अपशकुनी आशंकाओं की 'तिजारत' शुरू कर दी। यहां तिजारत शब्द का प्रयोग जान-बूझकर कर रहा हूं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म ज्यादा 'हिट्स' और 'व्यूअर्स' के बदले निश्चित रकम चुकाते हैं। जिसके जितने व्यूज, उसके उतने पैसे ! यही वजह है कि कई लोग भय का व्यापार करने में जुट पड़े हैं। अभी वे बांग्लादेश पर स्यापा कर रहे हैं। यही लोग पहले श्रीलंका या पाकिस्तान को लेकर समान दावे कर चुके हैं। राजनीतिज्ञ ऐसी लपटों को कुतर्कों का ईंधन प्रदान करते हैं। मुझे विदेश मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सम्हाल चुके एक वरिष्ठ राजनेता का बयान चौंका गया। वह कह रहे थे कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हिंसक प्रदर्शन संभव हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं थी।

हम सभी जानते हैं, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा नहीं है।

हमारी विशालता, बहुलता और सहअस्तित्व की शानदार परंपरा हमें भटकने से रोकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा सहोदर है, वह बेपटरी हुआ, तो हम क्यों नहीं हो सकते? वे भूल जाते हैं कि साल 1947 की 15 अगस्त को हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए थे, हजारों साल पुरानी हिन्दुस्तानियत से नहीं। पाकिस्तान में धर्म की आड़ में जो नई रहगुजर गढ़ने की कोशिश हुई, वह आत्मघाती साबित हुई। बांग्लादेश की भी यही दिक्कत है। वह बहुसंख्यकवाद और अपनी सेक्युलर परंपरा के बीच झूल रहा है। शांति के सतत संवाहक बौद्धों ने भी जब म्यांमार या श्रीलंका में बांग्लादेश जैसे प्रयोग करने की कोशिश की, तो वे औंधे मुंह जा गिरे। भूलें नहीं, धर्म संस्कृति का हिस्सा होता है। संस्कृति धर्म का नहीं। दोनों एक-दूसरे को सतत समृद्ध करते चलते हैं। उन्हें एक-दूसरे पर लादने की कोशिश हर बार आत्मघाती साबित हुई है।

मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि भारतीय उप महाद्वीप के लिए कठमुल्लापन जहर है। 15 अगस्त हर वर्ष हमें इसका स्मरण कराता है।

एक और बात। हमें आशंकाओं के सौदागरों से भी सचेष्ट रहना होगा। बंगाल को भुखमरी की मृत्यु शय्या पर धकेलने वाले चर्चिल और पश्चिम के तमाम स्वनामधन्य बोधिसत्वों को लगता था कि भारत लोकतंत्र के लिए नहीं बना। हम असफल हो जाएंगे। गुजरे 77 साल उनकी भविष्यवाणी को भोथरा साबित करने वाले साबित हुए हैं। हम आगे भी उन्हें ऐसे ही निराश करते रहेंगे।

घूँघट की बगावत

18 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

'जिम्मेदारियों के दरम्यान औरतों की आजादी कुचल दी जाती है'

आजादी कोई तमगा नहीं है जिसे स्त्री को जीतने के लिहाज से प्रतिस्पर्धा करने को उतावली हो उठे। न ही आजादी देने वाली चीज है। जो उधारी की तरह बांटी जाती रहे। आजादी सिर्फ गुलामी से होती है। दैहिक, मानसिक, आर्थिक आजादी के साथ जीने की भी आजादी सोचने की आजादी। जीनके की आजादी। बात-बात पर अंगली उठाने या परंपराओं/दकियानूसी रिवाजों की बंदिशों में बांधे रहने से आजादी जरूरी है। जेहनी तौर पर पुरुषवादी वर्चस्व से औरतों को चाहिए संपूर्ण आजादी बगैर किसी न नुकुर के।

जब बात औरतों की हो तो आजादी की भी होनी चाहिए। मगर औरतों की आजादी को लेकर अपने मर्दवादी समाज में अभी भी त्योरियां बढ जाती हैं। कहना तो यही है कि आजादी के बाद भी औरतें अपनी आजादी के बारे में अनिश्चित ही हैं। वे जिन चीजों को आजादी मान बैठी हैं, वे दरअसल तबदील हुई परिस्थितियां मात्र हैं। उन्हें अपने वजूद का अहसास तक नहीं है। वे आजाद परिन्दों की तरह पंख फैलाने को राजी नहीं हैं। डर-डरकर जीने या संशय में जीवन काटने वाली यह कौम बेखौफ नहीं हो पा रही है। उसने मान लिया है कि पुरुषों द्वारा दी जाने ढील को ही अपनी आजादी स्वीकार लेंगी। खांटी मर्दवादियों ने बंदिशों को तनिक कमजोर कर लिया है। जकड़नों के दरम्यान सुराखों बड़ी हो चुकी हैं। जिन्हें नई स्त्री ने आजादी मानने की गलती कर दी है। माफ करें, औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों में जब तक कमी नहीं आती, तब तक कोई कैसे कह सकता है कि औरतों के मुनासिब समाज हो रहा है? बशर्ते लड़की पढ़ रही है, पहले के मुकाबले बेहतर शिक्षा पा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। आत्मनिभरता के प्रति जागरूक हो रही है। बावजूद इसके वे इस बेरहम समाज में पुरुषों द्वारा की जा रही ज्यादती से ता-उम्र जूझती हैं। उनके दिमागों में बेहद चालाकी से ठूंसा जा रहा है कि उन्हें बेहतरीन औरत बनना है। ये बेहतरीन औरत आजादी की बजाय सुपर वूमन बनने की तरफ ढकेली जा रही है। जो भीतर से पारंपरिक तो रहे ही, पर नजर आए स्मार्ट, तेज-तर्रार। वह मर्द के बराबर पढी-लिखी हो, कमाती हो, मगर इसके बावजूद वह आम घर-गृहस्थी, करने वाली भी बनी रहे। वह गर्भावस्था, प्रसव के बाद नवजात को पालने में कोई कोताही न बरते।

बच्चे पाले, इन्हें शऊरदार बनाए, स्कूल में दाखिला कराए, उनको होमवर्क कराए, उनकी स्कूल की मीटिंगों में जाए। यही नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स, आर्ट्स-संगीत व अन्य हुनर वाली क्लासेज में लेकर भी जाए। ससुरालियों की खिदमत करे, और तीज-त्योहार मनाने में कोई कोताही न बरते। वे भूल जाते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के दरम्यान औरत की आजादी पांव तले कुचल जाती है। ध्यातव्य है कि बरेली में औरतों का हत्यारा जिसे सीरियल किलर कहा जा रहा है, पुलिस ने इसे साइको बताया। कह रहे कि उसे औरतों से नफरत है। वह मझोली उम्र की औरतों से पहचान बढता फिर उनसे दैहिक संध बनाने की कोशिश करता। औरत के इंकार करने या ना नुकुर करने पर उनके दुपट्टे या पल्लू से गला दबा देता। 45 से 55 वर्ष की इन मारी गई औरतों की लाश वह किसी सुनसान में फेंकता रहा। तेरह महीनों के दरम्यान उसने नौ औरतों को मौत के घाट उतारा। सिरफिरा सा नजर आ रहे हत्यारे कुलदीप ने दरिंदगी के बारे में स्वीकार भी किया है। हैरानगी इस बात की पुलिस किस ढिठाई से दरिंदे का पक्ष लेते हुए उसे कुंठित और साइको बता रही है। दरिंदे स्टोरी मीडिया में गढ़ी गई वह बता रही है कि नौ मासूम औरतों को मरने वाले इस खौफनाक का बचपन बहुत खराब था। उसकी सौतेली मां ने बहुत अत्याचार किये। उसकी बीवी ने तंग आकर उसे छोड़ दिया। हालांकि उसकी हालत देखकर नहीं लगता कि वह हत्याएं इतनी आसानी से करता होगा। यह तो बाद की बात है। अंत में तो गवाहों और तथ्यों के आधार पर अदालत तय करेगी कि इन औरतों की हत्या कै से हुइ। परंतु किस आजादी की उम्मीद हम कर रहे हैं और किससे?

अपनी कुंठाओं, प्रताड़नों और दुर्व्यवहार के लिए अनजान और मासूम औरतों के साथ दरिंदगी कर उनकी हत्या करने वाले के प्रति किस तरह की मुलायमियत ?

ख्वाब जो अधूरा ही रह गया

कंगाली में जन्मे (2 अगस्त, 1876 : सागरतटीय मछलीपत्तनम, आंध्र) तथा अभाव में पले। इस विप्र के शवदाह में पर्याप्त ईधन नहीं मिला। उनका अधूरा ख्वाब था कि तिरंगे में लपेट कर उनकी लाश ले जाई जाए। वैंकय्या ने जीवन में कई ज्वारभाटा देखे। मेधावी छात्र थे। लाहौर के वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी के अध्यापक रहे। कैंब्रिज विविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। भारत लौट कर आए तो निजी रेलवे कंपनी में जीविका पाई। लखनऊ में भी एक शासकीय नौकरी की। उनके रोजगार में विविधता रही। भूविज्ञान तथा कृषि क्षेत्र में निष्णात रहे। खदानों के जानकार रहे। फिर आई उनके जीवन की विलक्षण बेला। ब्रिटिश सेना का दक्षिण अफ्रीका में बोयर युद्ध हुआ। भारतीय भी वहां गए। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सैनिक था मोहनदास कर्मचंद गांधी। वे चिकित्सक (स्वयंसेवक) की भूमिका में थे। तभी वैंकय्या भी ब्रिटिश सैनिक के रोल में गए। गांधी जी से भेंट हुई, परिचय हुआ। फिर भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में दोनों में प्रगाढ़ता सर्जी। तभी का किस्सा है। चालुक्यों की गौरवमयी राजधानी रही काकीनाडा (गोदावरी तटीय) की घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन (26 दिसम्बर, 1923) हुआ। यह चालुक्यों के सम्राट पुलकेशिन से जुड़ा था। यहीं वैंकय्या ने कांग्रेस में शरीक होकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप पर चर्चा की थी। यह अधिवेशन दो घटनाओं के लिए ऐतिहासिक था- मौलाना मोहम्मद अली ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वंदे मातरम गाने पर एतराज किया था। वॉकआउट किया। तभी से यह राष्ट्रगान अधूरा हो गया-इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। सर्वाधिक निर्धारण महत्त्वपूर्ण था कि काकीनाडा अधिवेशन में ही वैंकय्या ने राष्ट्रध्वज की आवश्यकता पर बल दिया था। उनका यह विचार गांधी जी को बहुत पसंद आया। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। पिंगली वैंकय्या ने पांच सालों तक तीस विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वैंकय्या महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। तब तक ब्रिटिश यूनियन जैक ध्वज ही कांग्रेस सम्मेलनों में फहरता था। मगर बाद में तिरंगा फहरने लगा। देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में दो रंगों वाले अंग्रेजी झंडों का प्रयोग बंद हो गया। लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से अधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिह्न बनाने का सुझाव दिया। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वैंकय्या ने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। बाद में 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे, तीन रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। फिर राष्ट्रीय ध्वज में इस तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली।

मैथ्यू पैरी की मौत के मामले में उनके सहायक समेत पांच लोगों पर आरोप

मैथ्यू पेरी की मौत के मामले में नवीनतम घटनाक्रम में, पिछले साल केटामाइन ओवरडोज से अभिनेता की मौत के सिलसिले में पांच लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। इन पांच लोगों में अभिनेता के सहायक और दो डॉक्टर भी शामिल हैं। अमेरिकी अटॉर्नी मार्टिन एस्ट्राडा ने गुरुवार को आरोपों की घोषणा करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने पेरी को बड़ी मात्रा में केटामाइन दिया था और यहां तक कि एक टेक्स्ट संदेश में यह भी पूछा कि पूर्व फ्रेंड्स स्टार कितना भुगतान करने को तैयार होंगे।

एस्ट्राडा ने कहा इन प्रतिवादियों ने खुद को समृद्ध करने के लिए श्री पेरी की लत की समस्या का फायदा उठाया। एस्ट्राडा ने कहा, ₹वे जानते थे कि वे जो कर रहे थे वह गलत था।₹ पेरी की मृत्यु पिछले साल अक्टूबर में केटामाइन के ओवरडोज के कारण हुई थी और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन उनके साथ रहने वाले निजी सहायक ने उन्हें इस दवा के कई इंजेक्शन दिए थे। सहायक, केनेथ इवामासा, वही व्यक्ति है जिसने उस दिन बाद में पेरी को मृत पाया था। एस्ट्राडा ने कहा कि आरोपी डॉक्टरों में से एक सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इवामासा सहित दो प्रतिवादियों ने पहले ही आरोपों में दोषी होने की दलील दी है, और एक तीसरा व्यक्ति दोषी होने की दलील देने के लिए सहमत हो गया है। इवामासा के वकीलों ने टिप्पणी मांगने वाले संदेश का तुरंत जवाब नहीं दिया।

अभियोजक ने कहा कि प्रतिवादियों ने पेरी की मृत्यु

के तुरंत बाद संदेशों का आदान-प्रदान किया, जिसमें मृत्यु के कारण केटामाइन का उल्लेख किया गया था। एस्ट्राडा ने कहा कि उन्होंने पेरी केटामाइन की आपूर्ति में अपनी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश की, जो एक शक्तिशाली संवेदनाहारी है जिसका उपयोग कभी-कभी पुराने दर्द और अवसाद के इलाज के लिए किया जाता है।

लॉस एंजिल्स पुलिस ने मई में कहा था कि वे अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन और अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा के साथ मिलकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि केटामाइन की आपूर्ति क्यों की गई। 54 वर्षीय व्यक्ति के शरीर में सर्जिकल एनेस्थेटिक की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इवामासा ने 28 अक्टूबर को अभिनेता को अपने हॉट टब में नीचे की ओर लेटा हुआ पाया, और तुरंत बुलाए गए पैरामेडिक्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिसंबर में जारी उनके शव परीक्षण में पाया गया कि उनके रक्त में केटामाइन की मात्रा सर्जरी के दौरान सामान्य एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीमा में थी।

दशकों पुरानी इस दवा का इस्तेमाल हाल के वर्षों में अवसाद, चिंता और दर्द के इलाज के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेरी के करीबी लोगों ने कोरोनर के जांचकर्ताओं को बताया कि वह केटामाइन इन्फ्यूजन थेरेपी से गुजर रहे थे। लेकिन मेडिकल परीक्षक ने कहा कि पेरी का 1.5 सप्ताह पहले का अंतिम उपचार उनके रक्त में केटामाइन के स्तर को स्पष्ट नहीं कर सकता। दवा आमतौर पर कुछ ही घंटों में मेटाबोलाइज हो जाती है। मेडिकल परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरी का इलाज कम से कम दो डॉक्टर कर रहे थे, एक मनोचिकित्सक और एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो उनके प्राथमिक देखभाल चिकित्सक के रूप में काम करते थे। उनके घर पर कोई अवैध दवा या सामान नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि केटामाइन को मौत का प्राथमिक कारण बताया गया है, जिसे दुर्घटना माना गया है, जिसमें कि-सी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है। कोरोनर ने कहा कि डूबने और अन्य चिकित्सा संबंधी समस्याएं इसमें योगदान देने वाले कारक थे। पेरी को कॉमेडी शो, फ्रेंड्स में अपने समय से ही नशे की लत से जूझना पड़ा, जब वह 1994 से 2004 तक ठइउ के मेगाहिट सिटकॉम पर जेनिफर एनिस्टन, कॉर्टनी कॉक्स, लिसा कुड्रो, मैट लेब्लांक और डेविड श्विमर के साथ चैंडलर बिंग के रूप में अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े टेलीविजन सितारों में से एक बन गए थे।

कैदियों में फैल रही साक्षरता की धारा

25 की संख्या में प्रतिदिन कैदियों की कक्षाएं लगती हैं। अनुभवी कैदी शिक्षा प्रदान करते हैं। पढ़ाई से जुड़ने वाले सभी कैदियों को कॉपी, किताब, कलम मुहैया कराया गया है। उनके लिए पत्र-पत्रिकाएं भी मंगाई जाती हैं। हमारा प्रयास है कि युवा कैदी अपराध की दुनिया से दूर होकर बाहर निकलने के बाद सम्मानित जिंदगी व्यतीत करें।

-प्रभात सिंह,
जेल अधीक्षक

महराजगंज (जीकेबी)। जेल प्रशासन की एक सार्थक पहल से कैदियों में अक्षर ज्ञान का उजियारा फैल रहा है। पहले जो कैदी अंगूठा लगाते थे आज वह हस्ताक्षर कर रहे हैं। वहीं हिंदी-अंग्रेजी भी फरार्टेदार पढ़ रहे हैं।

महराजगंज जेल में इस समय 780 कैदी हैं। इसमें 13 विदेशी हैं। इसमें 18 से 21 वर्ष की उम्र वाले 50 बंदी निरुद्ध हैं। 25 बंदियों ने शिक्षा की मुहिम से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करने की शुरूआत की है। वह जेल से निकलकर अपराध की जिंदगी से नाता तोड़कर कुछ अलग करने का मन बना चुके हैं। जेल प्रशासन इनका सहयोग कर रहा है। कारागार परिसर में उनके लिए ब्लैकबोर्ड लगवा दिया गया है। साथ ही पढ़ने वाले कैदियों के लिए कॉपी, किताब, कलम और पत्र-पत्रिकाओं का प्रबंध भी किया गया है।

जिला कारागार परिसर में हर दिन सुबह और शाम कैदियों की कक्षाएं संचालित होती हैं। यहां बाहर से शिक्षक नहीं आते हैं, लेकिन उन कैदियों को निरक्षर कैदियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो डिग्री होल्डर हैं और लंबे अंतराल की सजा भुगत रहे हैं। अलग-अलग दिन अलग-अलग शिक्षक विभिन्न विषयों का न सिर्फ ज्ञान देते हैं, बल्कि कैदियों को होमवर्क भी दिया जाता है।

देश दुनिया की खबरों व सामाजिक मुद्दों को जानने के लिए पढ़ाई करने वाले कैदी समाचारपत्र अथवा पत्रिकाओं में छपी खबर बड़े चाव से सुनते हैं। दो कैदी तो इनमें से ऐसे हैं जो क्लास शुरू होने से पहले समाचारपत्र पढ़कर अन्य को सुनाते हैं। पढ़ने वाले 5 कैदी ऐसे हैं जो पहले अंगूठा लगाते थे, लेकिन अब सुस्पष्ट अक्षरों में अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। जेल प्रशासन भी इनकी तत्परता से खुद को गौरवांवित महसूस कर रहा है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फ्लर्ट करने वाली मॉडल का वायरल हुआ वीडियो

अभी हाल ही में दिल्ली में एक फैशन शो हुआ था। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फैशन शो में एक मॉडल के साथ रैंप पर चले। एक्टर लगभग उदासीन दिख रहे थे, जबकि मॉडल फ्लर्टिंग करती दिख रही थी। जिसके बाद वीडियो काफी वायरल हुई। मॉडल को ट्रोल भी किया गया। इसके बाद एलिसिया कौर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी से मांगी माफी।

हाल ही में एक फैशन शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दिल्ली में शांतनु और निखिल के लिए रैंप वॉक करते हुए, अभिनेता लगभग उदासीन लग रहे थे, जबकि उनकी साथी मॉडल रैंप पर उनके साथ फ्लर्टी पोज दे रही थी। अब, उनके साथ चलने वाली मॉडल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी पत्नी, अभिनेत्री कियारा आडवाणी से माफी मांगी है।

एलिसिया कौर ने मांगी माफी

मॉडल एलिसिया कौर ने शो के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रैंप से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। एक तस्वीर में मॉडल सिद्धार्थ को अपने पास पकड़े हुए दिख रही हैं, उन्होंने लिखा, सॉरीकियारा। उन्होंने एक मीम भी शेयर किया जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 365 दिनों के रीमेक के लिए याचिका का सुझाव दिया गया था, जिसमें लिखा था, ₹यह हमारा काम है।

शो में सिद्धार्थ और एलिसिया के वॉक करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कोरियोग्राफी के दौरान उन्हें उनका कॉलर खींचते हुए देखा जा सकता है। रैंप पर पोज देते समय सिद्धार्थ ने उन्हें अपने करीब भी रखा। शो में सिद्धार्थ ने गोल्ड डिटेलिंग के साथ ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था। प्रशंसकों ने वीडियो के नीचे मजेदार कमेंट किए थे, कुछ ने आश्चर्य जताया कि कियारा इस सब पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। शो में सिद्धार्थ की मां और भाई भी मौजूद थे, जिसमें कई तरह के रेट्रो आउटफिट्स में मॉडल्स ने हिस्सा लिया। शो की शुरूआत अभिनेत्री जीनत अमान की शानदार प्रस्तुति से हुई; अभिनेत्री-गायिका सबा आजाद ने एक लाइव परफॉर्मेंस के साथ माहौल को और भी बेहतर बना दिया। नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह के बेटे इमाद शाह ने सबा के मंच पर आने पर बैकग्राउंड में गिटार बजाया।

सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाल ही का काम

सिद्धार्थ को आखिरी बार योद्धा में देखा गया था, जो इस साल की शुरूआत में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया।

अभिनेता ने अभी तक अपनी आगामी परियोजनाओं की घोषणा नहीं की है। हालाँकि, अफवाह है कि उन्होंने मिट्टी नामक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। शेरशाह के बाद अगर उन्हें सही स्क्रिप्ट मिलती है तो वह कियारा के साथ फिर से काम कर सकते हैं।

नहीं रहीं गायिका हानिया असलम

पाकिस्तान की मशहूर गायिका हनिया असलम का रविवार को निधन हो गया। वह कोक स्टूडियो के हिट गानों 'लैली जान', 'बीबी सनम', 'पामोना' और 'चुप' के लिए जानी जाती थीं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हनिया असलम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। वह करीब 39 साल की थीं। उनके चचेरे भाई और सहकर्मी जेब बंगश ने सोशल मीडिया पर हनिया की मौत की पुष्टि की है। बंगश ने इंस्टाग्राम पर अपनी दिवंगत चचेरी बहन की तस्वीरें शेयर कर दिवंगत गायिका को श्रद्धांजलि दी है।

सूत्रानुसार, हनिया के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर गायिका की मौत पर दुख जताया है। पाकिस्तानी संगीत उद्योग में सालों से लोकप्रिय गायिका रहीं हनिया असलम ने 2007 में बंगश के साथ ₹जेब-हनिया₹ नामक बैंड बनाकर अपने संगीत करियर की शुरूआत की थी। 2014 में कनाडा जाने से पहले उन्होंने कई हिट गाने दिए थे। हनिया असलम और बंगश ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान को कई हिट गाने दिए हैं। उनके कुछ सबसे मशहूर गानों में तन डोले, दोस्ती, दिल पगला, अहान और साह न सके शामिल हैं। उन्होंने आलिया भट्ट अभिनीत हाईवे के गाने सूहा साहा में भी अपनी आवाज दी है। उन्होंने हिंदी फि ल्म मद्रास कैफे में भी साथ काम किया है।

उनकी मौत की खबर पर कई भारतीय हस्तियों ने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कीं। भारतीय संगीत कलाकार अनिरुद्ध वर्मा ने लिखा, ₹यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका संगीत हमेशा याद रखा जाएगा।₹ अपने बैंड ₹जोश द बैंड₹ के लिए मशहूर रूप मगन और कुर्रम हुसैन की भारतीय-पाकिस्तानी जोड़ी ने हानिया असलम की तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ₹आज, हमारे संगीत उद्योग ने एक बेहतरीन कलाकार और आत्मा खो दी है। हानिया आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com